शहरी अवसंरचना
विकास निधि (यूआईडीएफ)
पर
नियम पुस्तिका

विषय सूची

1. भूमिका 5

1.1. शहरी अवसंरचना 5

1.2. शहरी अवसंरचना विकास निधि की उत्पत्ति 5

1.3. शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य 5

1.4. नियम पुस्तिका का उपयोग 6

2. नीति 6

2.1. शहरी अवसंरचना विकास निधि हेतु लक्षित शहर 6

2.2. मानकीय आबंटन 6

2.3. चरणीकरण 7

2.4. पात्र गतिविधियां 8

2.5. नकारात्मक गतिविधियों की सूची 9

2.6. राज्यों में नोडल विभाग और निधियों की सुलभता 9

2.7. पात्र राशि 9

2.8. ब्याज दर 10

2.9. अर्थदंड ब्याज 10

2.10. चुकौती/भुगतान ..... Error! Bookmark not defined.

2.11. लागत में वृद्धि 11

2.12. नॉन-स्टार्टर परियोजनाएं (एनएसपी) 11

2.13. परियोजनाओं का समेकन 11

2.14. उपयोगकर्ता प्रभारों वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देना 11

3. परियोजना मूल्यांकन और स्वीकृतियां 11

3.1. परियोजना विवरण 11

3.2. प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं स्वीकृति 12

3.3. तकनीकी मूल्यांकन समिति 12

3.4. स्वीकृति समिति.....Error! Bookmark not defined.
3.5. परियोजनाओं की ग्राउंडिंग (जमीनी कार्य प्रारंभ) के लिए समय सीमा..... 13
3.6. परियोजनाओं को हटाना/वापस लेना..... 14
4. ऋण संवितरण 15
4.1. संवितरण 15
4.2. दस्तावेज़ीकरण/प्रतिभूति (सिक्योरिटी) 15
5. परियोजनाओं की निगरानी 16
6. परियोजनाओं का पूर्ण होना 16
6.1. परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी) 16
6.2. परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर) 16
अनुबंध I - शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु जांचसूची 17
क. सभी परियोजनाओं हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट के सामान्य बिंदु..... 17
ख. सभी परियोजनाओं हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट के विशेष बिंदु..... 21
अनुबंध II - नई परियोजनाओं के लिए परियोजना सारांश प्रारूप 30
अनुबंध III - संवितरण आवेदन प्रारूप 33
अनुबंध IV - प्राधिकार पत्र..... 44
अनुबंध V - वचनपत्र प्रारूप 48
अनुबंध VI - परियोजना कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप..... 49
अनुबंधVII - परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र प्रारूप..... 50
अनुबंध VIII - परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रारूप..... 51
क. सभी परियोजनाओं में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के सामान्य बिंदु..... 51
ख. सभी परियोजनाओं में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के विशेष बिंदु..... 54
अनुबंध IX - परियोजना प्रदर्शन बोर्ड नमूना प्रारूप 61
अनुबंध X - शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत प्रक्रिया प्रवाह 62
क. आबंटन 62

ख. स्वीकृति 63
ग. संवितरण 66
घ. चुकौती/भुगतान ..... **Error! Bookmark not defined.**
ङ. निगरानी एवं पूर्णता 68

1. भूमिका

1.1. शहरी अवसंरचना

भारत में शहरी अवसंरचना का तात्पर्य शहरों और नगरों के कार्यकलापों के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं और सेवाओं से है। इसमें सड़कें, पुल, जल आपूर्ति और जल निकासी और क्षेत्र की विकास परियोजनाएं शामिल हैं। भारत में शहरी अवसरंचना की अवस्थिति एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कई शहर यातायात की भीड़, वायु और जल प्रदूषण और अपर्याप्त आवास और सार्वजनिक सेवाओं जैसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार ने शहरी अवसंरचना में सुधार और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं।

1.2. शहरी अवसंरचना विकास निधि की उत्पत्ति

2023-24 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया:

"ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तरह, प्राथमिकता क्षेत्र में उपयोग न हो पाए ऋण के उपयोग के माध्यम से एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरना निर्माण हेतु किया जाएगा। राज्यों को शहरी अवसंरचना विकास निधि का उपयोग करते समय उपयुक्त उपयोगकर्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमें इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

1.3. शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य

शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य सार्वजनिक/राज्य एजेंसियों, नगर निगमों, टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित शहरी अवसंरना के विकास कार्यों के लिए वित्त पोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करना है। इसमें संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ लाया जा सकता है, जिससे व्यापक अवसंरचना सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं जो प्रत्येक शहरी क्षेत्र की उनकी खास जरूरतों को पूरी करेंगे।

1.4. नियम पुस्तिका का उपयोग

इस नियम पुस्तिका का उद्देश्य इस बात की व्यापक जानकारी प्रदान करना है कि पात्र संस्थाओं को शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण कैसे प्रदान किया जाता है। नियम पुस्तिका को मौजूदा नीति और प्रक्रियात्मक निर्देशों से तैयार किया गया है। यह नियम पुस्तिका शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत रा.आ.बैंक की नीति को और बेहतर तरीके से परिभाषित करने और प्राथमिक संदर्भ स्रोत के रूप में काम करने में मदद करेगा। यहां उल्लिखित नीतियां सामान्य प्रकृति की हैं और समय-समय पर जारी किए गए संबंधित दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों द्वारा उनमें जरूरत के अनुसार नए विवरण जोड़े जाएंगे, जिसमें कार्यान्वयन विवरण शामिल होंगे।

2. नीति

2.1. शहरी अवसंरचना विकास निधि हेतु लक्षित शहर

शहरी अवसंरचना विकास निधि का उपयोग असमान क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने हेतु, शहरी अवसंरचना विकास निधि नवीनतम जनगणना आंकड़ों (वर्तमान में 2011 की जनगणना) के अनुसार 50,000 से 9,99,999* जनसंख्या समूह वाले शहरों/शहरी स्थानीय निकाय पर ध्यान केंद्रित करेगी, इस प्रकार लगभग 40% शहरी आबादी इसके अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार, महानगरीय और मेगा शहरों को इसके कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर रखते हुए शहरी अवसंरचना विकास निधि क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित होने की क्षमता वाले मध्यम आकार के शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

क) 50,000 से 99,999 के बीच की आबादी वाले शहरों को टियर 3 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ख) टियर 2 शहरों में वे शहर शामिल होंगे जिनकी आबादी 1 लाख से 9,99,999 के बीच होगी।

* 50,000 तक की आबादी वाले शहरी क्षेत्र आरआईडीएफ के अंतर्गत आते हैं।

2.2. मानकीय आबंटन

2.2.1 रा.आ.बैंक शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पात्र शहरों/ शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या के आधार पर संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निधि का मानकीय आबंटन करेगा। आवश्यकता अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा पात्र शहरों/ शहरी स्थानीय निकाय की सूची सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग साझा की जाएगी।

नवीनतम जनगणना आंकड़ों (वर्तमान में 2011 की जनगणना) के अनुसार शहरों में शहरी आबादी के आधार पर मूल निधि का राज्यवार आबंटन किया जाएगा, जैसे:

$$\text{राज्यवार मूल निधि का अनुपात} = \frac{\text{राज्य में पात्र नगरों या शहरों में शहरी जनसंख्या}}{\text{देश के पात्र नगरों या शहरों में कुल जनसंख्या}}$$

2.2.2 रा.आ.बैंक श्रृंखला/भाग (निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित) के राज्यवार मानकीय आबंटन को अंतिम रूप देने पर जो कि राज्य की समग्र ऋण लेने की सीमा की अधीन होगी, इसके संबंध में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित करेगा। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित राज्य स्तरीय समिति, यानी, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति / उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति के अनुमोदन से शहरी अवसंरचना विकास निधि के एक विशेष वर्ष/श्रृंखला (भाग) के तहत वित्त पोषित होने वाली पात्र परियोजनाओं की सूची को एकत्रित करें और वरीयता दें। राज्य शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत पात्र प्रस्तावों की जांच और वरीयता के उद्देश्य से मौजूदा समिति में से किसी को नामित कर सकते हैं या एक समिति का गठन कर सकते हैं।

2.2.3 प्रत्येक राज्य द्वारा मानकीय आबंटन के उपयोग की मध्यावधि समीक्षा हर साल दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी और अप्रयुक्त निधि का अंतर-राज्यीय पुन: आवंटन किया जाएगा अर्थात राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित निधि में से जो अप्रयुक्त निधि रह जाएगी, उन्हें उन राज्यों से दूसरे राज्यों को उपयोग हेतु आबंटित कर दिया जाएगा। अप्रयुक्त निधियों का पुन: आबंटन ऐसे राज्यों की जनसंख्या के समान मानदंडों पर आधारित होगा और प्रमुख मापदंडों, जैसे प्रारंभिक मानकीय आबंटन, राज्यों द्वारा प्रस्तुत लंबित व्यवहार्य परियोजनाओं की मात्रा और मूल्य, स्वीकृत राशि का उपयोग स्तर, उपलब्धता और ऋण लेने की सीमा पर निर्भर करेगा। इस प्रकार का पुन: आबंटन प्रति राज्य न्यूनतम 5 करोड़ रुपये किया जा सकता है; उत्तर पूर्व (सिक्किम सहित) और पहाड़ी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए यह 1 करोड़ रुपये होगी।

2.3. चरणीकरण

स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का चरण 2-5 वर्षों तक का है, जो परियोजना के प्रकार और राज्य के स्थान के अनुसार अलग-अलग होगा। सामान्य परियोजनाओं के लिए 3 वर्ष तक की अधिकतम चरण अवधि के विपरीत, उत्तर पूर्व (सिक्किम सहित) और पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) की परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष तक की चरण अवधि की अनुमति है।

2.4. पात्र गतिविधियां

2.4.1 शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए पात्र गतिविधियां आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मिशनों और कार्यक्रमों से जुड़ी होंगी। इनमें सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, नालियों/बरसाती जल निकासी नालियों के निर्माण और सुधार आदि जैसी बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। प्रभाव-उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्त पोषण हेतु किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की उपलब्धता/पूरा होना अनिवार्य होगा।

2.4.2 पात्र गतिविधियों को तीन व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, अर्थात, (i) जलापूर्ति और स्वच्छता, (ii) शहरी संपर्क और (iii) शहरी क्षेत्र विकास।

2.4.3 पात्र गतिविधियों की सूची इस प्रकार होगी:

जलापूर्ति और स्वच्छता

- जलापूर्ति नेटवर्क (नया/विस्तार/जीर्णोद्धार)
- नालियों/ बरसाती पानी की नालियों का निर्माण एवं सुधार
- सीवरेज नेटवर्क (नया/विस्तार/जीर्णोद्धार)
- सीवेज उपचार संयंत्र - माध्यमिक/तृतीयक व्यवस्था
- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित और प्रबंधित भुगतान और उपयोग शौचालयों की व्यापक परियोजनाएं,
- ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र (नया/विस्तार)

शहरी संपर्क

- सभी उपयोगिताओं को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से ले जाने के प्रावधान के साथ क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अंतर्गत सड़कें (रखरखाव कार्यों को छोड़कर)
- ओवर ब्रिज, ग्रेड सेपरेटर, अंडरपास

शहरी क्षेत्र विकास

- विद्युत/गैस शवदाह गृह
- क्षेत्र से जुड़ी व्यापक विकास परियोजनाएँ
  - o भीड़-भाड़ कम करने के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना
  - o विरासत संरक्षण
  - o सार्वजनिक परिवहन के निकट सघन, मिश्रित उपयोग वाले विकास के निर्माण के लिए पारगमन उन्मुख विकास
  - o ग्रीनफील्ड विकास के लिए नगर नियोजन योजनाएं
  - o खुले जिम वाले पार्क जिनमें कोई बड़ा निर्माण कार्य शामिल न हो

- स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थान

2.5. नकारात्मक गतिविधियों की सूची

निधि का उपयोग किसी भी प्रकार के रखरखाव कार्यों या प्रशासनिक/स्थापना व्ययों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, आवास, बिजली और दूरसंचार, बस और ट्राम जैसे परिवहन, शहरी परिवहन शहरी अवसंरचना विकास निधि के कार्यक्षेत्र से बाहर रहेंगे।

2.6. राज्यों में नोडल विभाग और निधियों की सुलभता

2.6.1 शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत ऋण भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) द्वारा अभिशासित होगा, यानी, एक वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार और वित्तीय संस्थानों से राज्य की उधार लेने की सीमाओं के भीतर। इसलिए, संबंधित राज्यों का वित्त विभाग शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत सभी गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी होगी।

2.6.2 शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत निधियां नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं दोनों के लिए उपलब्ध होगी। राज्य सरकारें/राज्य सरकार प्रायोजित संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत संवितरित निधियों का उपयोग नए पूंजी निवेश के लिए किया जाए और मौजूदा ऋणों की चुकौती/भुगतान के लिए इनका उपयोग न हो। इस आशय का एक वचनपत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा।

2.6.3 शहरी अवसंरचना विकास निधि के सुचारू अभिशासन हेतु, राज्य एक विशिष्ट खाता खोल सकते हैं और शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण प्रदान करने हेतु रा.आ.बैंक को उसका विवरण सूचित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य का वित्त विभाग प्रत्येक परियोजना के संबंध में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि निर्मोचित कर सकता है।

2.7. पात्र राशि

2.7.1 शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र ऋण राशि परियोजना के आकार और परियोजना की भौगोलिक स्थिति पर आधारित होगी। शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का प्रतिशत जिस पर विचार किया जा सकता है, वह इस प्रकार होगा:

परियोजना की राशि	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के अलावा	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य
5 – 10 करोड़*	90%	95%

>10 - 50 करोड़	85%	90%
>50 - 500 करोड़	75%	85%
* पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 1-10 करोड़ रुपये		

 # किसी भी नई या चालू परियोजना के लिए यूआईडीएफ के अंतर्गत अधिकतम ऋण राशि/जोखिम सीमा ₹ 100 करोड़ तक सीमित होगी।

2.7.2 पूर्व-मूल्यांकन व्यय जैसे कि परियोजना की तैयारी पर किए गए खर्च, तकनीकी सर्वेक्षण की लागत आदि, हेतु अंततः स्वीकृत शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण के 0.5% तक खर्च करने की अनुमति है, बशर्ते कि इसे आउटसोर्स किया जाए।

2.7.3 सेंटेज शुल्क (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) की अनुमति है, बशर्ते कार्य राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा निष्पादित किए जाएं।

2.7.4 परियोजना के तहत सिविल कार्यों की अधिकतम 3% सीमा तक "आकस्मिक व्यय" की अनुमति है।

2.8. ब्याज दर

बैंकों द्वारा जमा की गई जमा राशि और शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत ऋण पर ब्याज दरें समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाएंगी। फिलहाल शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण पर ऋण दर बैंकों द्वारा निधि जमा करने के समय प्रचलित बैंक दर से जुड़ी हुई है, यानी बैंक दर घटा 1.5 प्रतिशत (बैंकों द्वारा धन जमा करने की तिथि के अनुसार)।

2.9. अर्थदंड ब्याज

अगर राज्य सरकार निर्धारित तारीख पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहती है, तो वह मूल राशि पर लागू दर से अतिदेय ब्याज पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। स्वीकृति प्राधिकारी को मामले की योग्यता के आधार पर इस तरह के अतिरिक्त ब्याज को माफ करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2.10. चुकौती/भुगतान

2.10.1 राज्य सरकार द्वारा रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित चुकौती/भुगतान समय-सारणी के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋणों का भुगतान करना होगा।

2.10.2 ऋण आहरण की तारीख से सात साल के भीतर पांच समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें दो साल की ऋण अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।

2.10.3 किसी माह के दौरान किसी भी तारीख को देय किश्तें अगले माह की पहली तारीख को देय होंगी। ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान भी ब्याज देय है।

2.10.4 रा.आ.बैंक का क्षेत्रीय कार्यलय ऋण अधिस्थगन अवधि के बाद संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ब्याज चुकौती/भुगतान के लिए त्रैमासिक आधार पर और मूलधन के चुकौती/भुगतान के लिए वार्षिक आधार पर मांग विवरण भेजेगा।

2.10.5 राज्य सरकार को तिमाही के अगले महीने के पहले दिन ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि मूलधन/ब्याज की देय तिथि शनिवार/रविवार/छुट्टी होती है, तो देय राशि पिछले व्यावसायिक कार्य दिवस पर देय होगी।

2.11. लागत में वृद्धि

राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि अगर लागत में कोई वृद्धि होती है तो वे इसे अपने संसाधनों से पूरा करें। कार्यक्षेत्र या परियोजना मापदंडों में कोई भी बदलाव स्वीकृति प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।

2.12. नॉन-स्टार्टर परियोजनाएं (एनएसपी)

2.12.1 एक परियोजना को नॉन-स्टार्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि इसे मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर इसका जमीनी कार्य शुरू नहीं होता है। एक परियोजना को केवल तभी "जमीनी" माना जाएगा जहां कार्य आदेश जारी किया गया है और भौतिक कार्य शुरू हो गया है।

2.12.2 परियोजना के संबंध में जारी संपूर्ण संग्रहित अग्रिम राशि को परियोजना के एनएसपी बनते ही समायोजित/वापसी कर लिया जाएगा। यदि मंजूरी पत्र की तारीख से 18 महीने के भीतर परियोजना का जमीनी कार्य आरंभ नहीं होता है तो मंजूरी समाप्त हो जाएगी।

2.13. परियोजनाओं का समेकन

राज्य सरकार छोटे आकार की परियोजनाओं को एक ही विस्तुत परियोजना रिपोर्ट में समेकित (क्लब कर) सकती है। विस्तुत परियोजना रिपोर्ट का न्यूनतम आकार और अधिकतम आकार क्रमशः 5 करोड़ रुपये (उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 1 करोड़ रुपये) और 500 करोड़ रुपये होगा।

2.14. उपयोगकर्ता प्रभारों वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देना

राज्यों को उन परियोजनाओं के लिए आवंटित निधि का न्यूनतम 5% उपयोग करने का प्रयास करना होगा जिनमें उपयुक्त उपयोगकर्ता शुल्क लागू है या ऐसी परियोजनाएं जो कम से कम अपने परिचालन और अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम हैं। रा.आ.बैंक ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी को प्राथमिकता देगा।

3. परियोजना मूल्यांकन और स्वीकृतियां

3.1. परियोजना विवरण

3.1.1 शहरी अवसंरचना विकास निधि वित्त पोषण परियोजना-आधारित ऋण पर आधारित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी और वित्तीय मापदंडों, आरेख, मानचित्र आदि युक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना शामिल है।

3.1.3 राज्यों द्वारा निधियों को तेजी से आहरित करने और उपयोग के लिए शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत संवितरण को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के विभिन्न शहरी अवसंरचना मिशनों के साथ जोड़ा/पूरक किया जा सकता है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत मौजूदा तंत्र का उपयोग विभिन्न राज्यों में पात्र परियोजनाओं के चयन, तकनीकी-वित्तीय व्यवहार्यता मूल्यांकन, निगरानी के साथ-साथ जमीन पर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अत्यधिक जरूरी वित्त पोषण की आवश्यकता के लिए किया जाएगा।

3.2. प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं स्वीकृति

3.2.1 राज्य सरकारें क्रमशः **अनुबंध I** और **अनुबंध II** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और परियोजना सारांश तैयार करने के लिए जांचसूची का संदर्भ ले सकती हैं। एक ही प्रस्ताव के तहत सभी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग विस्तुत परियोजना रिपोर्ट/परियोजना सारांश प्रस्तुत करना होगा।

3.2.2. शहरी अवसंरचना विकास निधि की एक श्रृंखला/भाग के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में नई और चल रही दोनों परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। नई और चल रही दोनों परियोजनाओं के मामले में जहां विस्तुत परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध है, राज्य संबंधित दस्तावेजों के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करेंगे।

नई परियोजनाओं के मामले में, जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं की गई है, राज्य सैद्धांतिक मंजूरी के लिए परियोजना सारांश (अनुलग्नक II के अनुसार) प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे सभी मामलों में, राज्य सरकारों को संवितरण किए जाने से पहले अंतिम मंजूरी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

3.2.3 राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे चल रही और नई दोनों परियोजनाओं के मामले में इन शहरी अवसंरचना विकास निधि प्रस्तावों की भौतिक प्रतियां, संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त सचिव के अधोहस्ताक्षर के साथ सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों के साथ रा.आ.बैंक को अग्रेषित करें।

3.2.4 पूंजीगत प्रकृति की चिन्हित मदें ही शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। लागत अनुमानों का आकलन करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुमान मौजूदा वर्ष/बाजार दरों के लिए सूचीबद्ध दरों की नवीनतम दर सूची (एसओआर) के अनुसार हैं।

3.2.5 चूंकि शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्य सरकार के ऋण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) और 293(1) द्वारा अभिशासित होती है, इसलिए शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत ऋण देने में कोई जोखिम नहीं है। इसलिए, राज्य सरकारों के लिए क्रेडिट रेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.3. तकनीकी मूल्यांकन समिति

3.3.1 राज्य सरकार शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर, रा.आ.बैंक. के क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तुत कार्यान्वयन योजनाओं के साथ परियोजना प्रस्तावों के लिए विस्तुत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा 3-5 वर्ष होगी।

3.3.2 रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय उनकी पात्रता और पूर्णता के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगे और मुख्य कार्यालय (मु.का.) को सूचित करेंगे।

3.3.3 रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय प्रस्तावों का सत्यापन करेगा और बिना विस्तुत परियोजना रिपोर्ट वाली नई परियोजनाओं के संबंध में, सैद्धांतिक मंजूरी हेतु परियोजना सारांश को बैंक की आंतरिक समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के संबंध में जहां विस्तुत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, विभाग तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए प्रस्तावों को तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

3.3.4 तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीएसी) में शामिल हैं –

- संबंधित का.नि./उप प्रबंध निदेशक (अध्यक्ष)
- विभागाध्यक्ष, परियोजना वित्त विभाग, रा.आ.बैंक
- विभागाध्यक्ष, सरकारी योजना विभाग, रा.आ.बैंक (शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए नोडल विभाग)
- बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ (कम से कम 2)

3.3.5 रा.आ.बैंक के बोर्ड द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों को सीपीडब्ल्यूडी, सीपीएचईईओ आदि के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा। परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के बाद, पात्र परियोजना प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए संबंधित स्वीकृति समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

3.4. स्वीकृति समिति

3.4.1 तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित 50 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि वाले योग्य परियोजना प्रस्तावों पर बोर्ड की एक उप-समिति, परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

- रा.आ.बैंक बोर्ड में भा.रि.बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक
- रा.आ.बैंक बोर्ड में भारत सरकार (वित्त सेवाएं विभाग) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक
- रा.आ.बैंक बोर्ड में भारत सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक
- प्रबंध निदेशक, रा.आ.बैंक
- बोर्ड के एक स्वतंत्र निदेशक

पीएससी की बैठक के लिए कोरम 3 सदस्यों का होगा।

3.4.2 तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण राशि ₹ 50 करोड़ या उससे कम, अनुशंसित किया गया है, बैंक की आंतरिक समितियों द्वारा ऋण की मात्रा को स्वीकृत किया जाएगा। आंतरिक समितियों की स्वीकृति शक्ति, संरचना और कोरम को रा.आ.बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

3.4.3 सैद्धांतिक मंजूरी वाले सभी प्रस्तावों को विस्तुत परियोजना रिपोर्ट सहित संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और किसी भी संवितरण से पहले अंतिम स्वीकृति हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति के माध्यम से संबंधित स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

3.5. परियोजनाओं की ग्राउंडिंग (जमीनी कार्य प्रारंभ) के लिए समय सीमा

परियोजनाओं की ग्राउंडिंग (जमीनी कार्य प्रारंभ) के लिए समय सीमा नीचे दी गई है:

- प्रशासनिक अनुमोदन (एए) - प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व या प्रशासनिक स्वीकृति पर स्वीकृति की तारीख से 1 महीने के भीतर
- तकनीकी स्वीकृति (टीएस) - तकनीकी स्वीकृति से पूर्व या तकनीकी स्वीकृति पर स्वीकृति की तारीख से 3 महीने के भीतर
- निविदा - स्वीकृति की तारीख से 6 महीने के भीतर।
- कार्य आदेश जारी करना - स्वीकृति की तारीख से 9 महीने के भीतर।
- परियोजना की ग्राउंडिंग - स्वीकृति की तारीख से 12 महीने के भीतर।

3.6. परियोजनाओं को हटाना/वापस लेना

3.6.1 यदि स्वीकृत परियोजनाएं स्वीकृति की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर शुरू नहीं की जाती हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालय विभागाध्यक्ष, सरकारी योजना विभाग, रा.आ.बैंक (शहरी अवसंरचना विकास निधि के लिए नोडल विभाग) से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद परियोजनाओं को हटा लिया गया/वापस लिया गया मान सकता है।

3.6.2 हटाने/वापस लेने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत संवितरित संग्रहित अग्रिम राशि सहित कोई भी बकाया राशि वसूला/समायोजित किया जाएगा।

4. ऋण संवितरण

4.1. संवितरण

4.1.1 राज्य सरकारों को निर्धारित औपचारिकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद निर्धारित प्रारूप में संवितरण हेतु आवेदन रा.आ.बैंक को भेजनी होगी। बेहतर अभिशासन और नियंत्रण हेतु राज्य सरकार को प्रयास करना होगा कि एक परियोजना के तहत अधिकतम 4 संवितरण (अग्रिम राशि अनुरोध सहित) का अनुरोध किया जाए। हालाँकि, किसी परियोजना के तहत संवितरण की संख्या स्वीकृति के समय स्वीकृति समिति द्वारा तय की जाएगी। संवितरण आवेदन प्रारूप **अनुबंध III** में दिया गया है।

4.1.2 स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने पर परियोजना ऋण के शुरुआती 20% की अग्रिम राशि स्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संवितरित की जाएगी। उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्य अग्रिम राशि के तौर पर 30% ऋण के लिए पात्र होंगे। रा.आ.बैंक 'अग्रिम राशि' के रूप में दिए गए परियोजना ऋण के शुरुआती 20 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के मामले में 30%) को छोड़कर, 'प्रतिपूर्ति आधार' पर निधि प्रदान करेगा।

4.1.3 शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्य सरकार की ऋण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) द्वारा अभिशासित होता है जिसके तहत भारत सरकार एक वर्ष के दौरान राज्य सरकार को ऋण लेने की सहमति देती है और अनुच्छेद 293(1) के तहत ऋण लेने की सीमाएं राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत ऋण लेने की सीमा की मंजूरी प्राप्त होने के बाद शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजनाओं के तहत संवितरण किया जाएगा, साथ ही एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि कोई सीमा तय नहीं की गई है / अनुच्छेद 293(1) के तहत ऋण राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

4.1.4 रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय कार्य की अनुसूची/प्रगति के साथ संवितरण अनुरोध और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और भुगतान जारी होने के बाद संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल विभाग को सूचित करेंगे और भुगतान की प्राप्ति के संबंध में उनकी पुष्टि लेंगे।

4.2. दस्तावेज़ीकरण/प्रतिभूति (सिक्योरिटी)

4.2.1 शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत सभी अनुमोदित ऋण राज्य सरकार द्वारा निष्पादित और भारतीय रिज़र्व बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ पंजीकृत अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार पत्र/अधिदेश द्वारा प्रतिभूत किए जाएंगे किए जाएंगे, जो रा.आ.बैंक को मूलधन के चुकौती/भुगतान और/या ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार का प्रमुख बैंकर है। **(अनुबंध IV)**

4.2.2 प्रत्येक संवितरण हेतु निर्धारित प्रारूप में सावधि वचन पत्र (टीपीएन) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। **(अनुबंध V)**।

4.2.3 दस्तावेज़ीकरण उद्देश्यों हेतु स्वीकृति के लागू नियम और शर्तें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की जाएंगी।

5. परियोजनाओं की निगरानी

5.1 राज्य सरकारों के पास शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की निगरानी के लिए अपना स्वयं का तंत्र होना चाहिए जिसमें परियोजना कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट (पीआईपीआर) **(अनुबंध VI)** को रा.आ.बैंक को समय-समय पर प्रस्तुत करना शामिल है।

5.2 रा.आ.बैंक स्थलेत्तर निरीक्षण और रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले स्थलीय निरीक्षण दोनों के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। अंतिम संवितरण से पहले कम से कम एक बार स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य है।

5.3 रा.आ.बैंक द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत अनुमोदित परियोजनाओं की जियो-टैग की गई तस्वीरों को समय-समय पर अपलोड करने के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत परियोजनाओं की प्रगति की भी बारीकी से निगरानी की जाएगी।

6. परियोजनाओं का पूर्ण होना

6.1. परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी)

राज्य सरकार को परियोजना के संबंध में भौतिक कार्य पूरा होने पर तुरंत रा.आ.बैंक को एक परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) प्रस्तुत करना होगा, जिसके प्राप्त होने पर परियोजना को पूरा माना जाएगा। इस संबंध में नमूना प्रारूप **अनुबंध VII** के रूप में संलग्न है।

6.2. परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर)

6.2.1 राज्य सरकारों को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध VIII) में पीसीसी की तारीख से 6 महीने के भीतर रा.आ.बैंक को एक विस्तृत परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर) प्रस्तुत करना होगा।

6.2.2 टाइप डिजाइन परियोजनाओं या प्रस्ताव में समान प्रकृति की कई इकाइयों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के मामले में, कार्यान्वयन प्रभाग के आधार पर, ब्लॉक/तालुका/जिले में एक से अधिक परियोजनाओं के लिए एक एकल पीसीआर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रासंगिक भौतिक, वित्तीय विवरण के साथ-साथ परियोजनाओं से परिकल्पित लाभों को एक अनुलग्नक के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

6.2.3 शहरी अवसंरचना विकास निधि दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन, निधि का समय पर उपयोग और इनका अनुपालन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संबंधित राज्यों को शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत निधियों का आबंटन पीसीसी और पीसीआर पर अनुपालन के आधार पर तय किया जाएगा।

अनुबंध I - शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु जांचसूची

क. सभी परियोजनाओं हेतु विस्तुत परियोजना रिपोर्ट के सामान्य बिंदु

i. परियोजना का नाम:
ii. परियोजना का प्रकार:
iii. पता पंक्ति 1:
iv. क्षेत्र, मार्ग, सेक्टर:
v. लैंडमार्क:
vi. नगर/शहर:
vii. ज़िला:
viii. पिन कोड:
ix. राज्य:
x. क्रियान्वयन एजेंसी:
xi. जियो-टैग किया गया स्थान (जीपीएस अक्षांश, जीपीएस देशांतर, दिनांक और समय, छवि)
xii. परियोजना परिव्यय (करोड़ रुपये):

क्र.सं.	**मद**	**टिप्पणियां**	**उत्तर (हां / नहीं)**
1	**सामान्य**		
1.1	क्या परियोजनाओं की जांच और प्राथमिकता निर्धारण हेतु राज्य-स्तरीय समिति द्वारा परियोजना को प्राथमिकता दी गई है (संबंधित समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ)		
1.2	क्या परियोजना ग्रीनफ़ील्ड परियोजना है या ब्राउनफ़ील्ड परियोजना है		
1.3	क्या परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है (संबंधित समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ)	ब्राउन-फील्ड परियोजनाओं के लिए अनिवार्य	
1.4	क्या परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है (संबंधित समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ)		

1.5	परियोजना का % कार्य पूर्णता (राज्य सरकार द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र और परियोजना की प्रगति को दर्शाने वाली जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ)	केवल ब्राउन-फील्ड परियोजनाओं पर लागू	
1.6	अभी तक परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएँ, यदि कोई हों		
1.7	क्या परियोजना से राजस्व उत्पन्न होगी/उपयोगकर्ता-शुल्क का प्रावधान होगा	यदि नहीं, तो स्पष्टीकरण दें कि उपयोगकर्ता-शुल्क क्यों नहीं लगाया गया तथा प्रचालन एवं रख-रखाव की लागत को पूरा करने के लिए वित्तपोषण का स्रोत क्या है?	
2	**निम्न से मंजूरी (जहां भी लागू हो)**		
2.1	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
2.2	कल्याण मंत्रालय (पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन)		
2.3	कोई अतिरिक्त मंजूरी		
2.4	भूमि अधिग्रहण - सीमा, स्थिति और समय-सीमा (भूमि प्रदान की गई है या भूमि प्रदान की जानी है)		
3	**तकनीकी पहलू**		
3.1	क्या राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है और क्या प्रस्तावित परियोजनाएं मास्टर प्लान के अनुसार हैं?		
3.2	क्या प्रस्तावित परियोजनाएं मानकों के अनुरूप डिजाइन की गई हैं। अगर इसमें कोई बदलाव किया गया है तो उसका कारण बताएं।		
3.3	क्या शहर/नगर ने कम लागत या बिना लागत वाले सुधारों का आकलन किया है जो सेवा स्तर में सुधार कर सकते हैं?		
4	**वित्तीय पहलू**		

<table>
<tr><td>4.1</td><td>अपनाई गई दर सूचियां (चाहे वर्तमान लागतों के अनुसार अद्यतन की गई हो)</td><td>वर्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>4.2</td><td>यदि नहीं, तो क्या प्रस्तावित लागत संपत्ति निर्माण हेतु पर्याप्त होगी</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3</td><td>लागत आकलन</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.1</td><td>परियोजना की मदवार अनुमानित लागत</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.1.1</td><td colspan="3">राशि (लाख रू.)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मदों का नाम (केवल प्रमुख घटक)</th><th>भौतिक मात्रा</th><th>अनुमानित लागत</th><th>टिप्पणियाँ (अनुमान के लिए धारणाएँ, यदि कोई हों)</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.3.2</td><td>मदवार किया गया व्यय</td><td>केवल ब्राउन-फील्ड परियोजनाओं पर लागू</td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.2.1</td><td colspan="3">राशि (लाख रू.)
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.सं.</th><th rowspan="2">मदों का नाम (केवल प्रमुख घटक)</th><th rowspan="2">भौतिक मात्रा</th><th colspan="2">वित्तीय विवरण</th><th rowspan="2">टिप्पणियाँ (भिन्नता के कारण, यदि कोई हों)</th></tr>
<tr><th>अनुमानित लागत</th><th>वास्तविक व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.3.3</td><td>शेष कार्यों की मदवार लागत</td><td>केवल ब्राउन-फील्ड परियोजनाओं पर लागू</td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.4</td><td>परियोजना की कुल लागत में शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण का हिस्सा</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.5</td><td>परियोजना की कुल लागत में राज्य सरकार का योगदान</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.6</td><td>शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण और राज्य सरकार के योगदान का वर्ष-वार चरण निर्धारण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.7</td><td>परियोजना निष्पादन के लिए बार/पीईआरटी चार्ट</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.3.8</td><td>विकास की उच्च लागत के लिए विशिष्ट प्रामाणिकता</td><td></td><td></td></tr>
</table>

4.3.9	एनपीवी, आईआरआर, डीएससीआर और लाभ-अलाभ विश्लेषण को कवर करने वाले विस्तृत वित्तीय आकलन		
4.3.10	परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची (पीआईएस) और कार्य विश्लेषण अनुसूची (डब्ल्यूबीएस) का विवरण - परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित अवधि		
4.3.11	शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत संवितरण श्रृंखलाओं/भागों की अनुरोधित संख्या		
5	**परिचालन और अनुरक्षण**		
5.1	जल उपयोगकर्ता संघ/उपयोगकर्ता समूहों की ओ/एम इंक. भागीदारी व्यवस्था; जल प्रभार		
6	**अवसंरचना सुविधाएं**		
6.1	कार्यान्वयन विभाग की संगठनात्मक संरचना		
6.2	कार्यान्वयन विभाग की क्षमता और तैयारी और पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति		
6.3	गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना और तंत्र		
6.4	श्रम की उपलब्धता		
6.5	बजट प्रावधान क. राज्यांश में योगदान हेतु ख. अनुवर्ती ओ एंड एम हेतु ग. ऋणों के चुकौती/भुगतान हेतु- मूलधन और ब्याज		
7	**परियोजना जोखिम**		
7.1	भूमि अधिग्रहण (राज्य सरकार को यह वचन पत्र देना होगा कि अधिग्रहित भूमि अनधिकृत बस्तियों/अतिक्रमण से मुक्त है)		
7.2	पुनर्वास एवं पुनःस्थापन		
7.3	वन मंजूरी		
7.4	निर्माण संबंधी खतरे		
7.5	रेलवे/सड़क क्रॉसिंग		
7.6	कोई अन्य जोखिम		
8	**किसी अन्य कार्यक्रम के साथ अभिसरण**		

ख. सभी परियोजनाओं हेतु डीपीआर के विशेष बिंदु

जल आपूर्ति नेटवर्क परियोजनाएं

क्र.सं.	मद	टिप्पणियां	उत्तर (हां / नहीं)
1	**तकनीकी पहलू**		
1.1	क्या परियोजना शहरी जल संतुलन योजना के अनुरूप है		
1.2	क्या प्रस्तावित परियोजनाएं नई हैं या मौजूदा जल आपूर्ति नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण/पुनरुद्धार/विस्तार हैं		
1.3	क्या शहर/नगर ने लागू सेवा कवरेज संकेतकों के लिए आधार रेखा का मूल्यांकन किया है?	प्रत्यक्ष जल आपूर्ति कनेक्शन का घरेलू स्तर पर कवरेज, आपूर्ति किए गए पानी की प्रति व्यक्ति मात्रा, आपूर्ति किए गए पानी की गुणवत्ता	
1.4	पानी के स्रोत, जलग्रहण क्षेत्र, वर्षा डेटा, जल विज्ञान, संयंत्र या नेटवर्क के डिजाइन विवरण, अपनाई गई तकनीक, पानी की गुणवत्ता का विवरण। जल आपूर्ति विकास अनुभागों के प्रासंगिक अनुबंध में, जहां भी विस्तृत जानकारी दी जानी हो, प्रस्तुत किया जाए	न्यूनतम 10 वर्षों का वर्षा डेटा और अपवाह अनुमान। बांध, मौजूदा आपूर्ति नेटवर्क, अन्य संरचनाओं के साथ मुख्य नहरों के क्रॉस सेक्शन आदि को दर्शाने वाले परियोजना के मानचित्र जैसे सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।	
1.5	जल आपूर्ति नेटवर्क के विस्तार/संवर्द्धन/जीर्णोद्धार के औचित्य को मांग मूल्यांकन, जनसंख्या अनुमान और निर्माण योजनाओं के साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।		
2	**लाभ एवं औचित्य**		
2.1	परियोजना का समग्र प्रभाव जिसका मूल्यांकन और विस्तृत विवरण दिए जाने की जरूरत है	संभावित (जल आपूर्ति नेटवर्क और पाइपिंग के किलोमीटर / उपचार सुविधाओं की संख्या,	

		घरेलू और वाणिज्यिक जल आपूर्ति कनेक्शन का कुल %) जल गुणवत्ता मेट्रिक्स में सुधार - घुलित ऑक्सीजन, पीएच, तापमान, लवणता और पोषक तत्व जनसंख्या/परिवार जो लाभान्वित हुए अनुमानित लाभ जो अर्जित किया जाएगा गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन परियोजना के 'बिना' और 'सहित' आय और नकद विवरण प्रस्तुत किया जाना है	

जल निकासी संबंधी परियोजनाएँ

क्र.सं.	**मद**	**टिप्पणियां**	**उत्तर (हां / नहीं)**
1	**तकनीकी पहलू**		
1.1	क्या प्रस्तावित परियोजनाएं नया निर्माण/ मौजूदा बरसाती नालों में सुधार हैं		
1.2	क्या शहर/नगर ने लागू सेवा कवरेज संकेतकों के लिए आधार रेखा का आकलन किया है?	तूफानी जल निकासी नेटवर्क का कवरेज	
1.3	मौजूदा और प्रस्तावित स्थितियों में जल निकासी नेटवर्क, क्षमता, निस्पंदन तंत्र और जल आपूर्ति नेटवर्क के साथ लिंकेज का विवरण प्रासंगिक अनुबंधों में प्रस्तुत किया जाना है।		
1.4	निर्माण/सुधार के औचित्य को निर्माण के वर्ष और निर्माण योजनाओं के साथ		

	प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए		
2	**लाभ एवं औचित्य**		
2.1	परियोजना का समग्र प्रभाव जिसका मूल्यांकन और विस्तृत विवरण दिए जाने की जरूरत है	संभावित (तूफानी जल निकासी नेटवर्क के किलोमीटर, कुल क्षमता, जल निकासी दक्षता) जनसंख्या/परिवार जो लाभान्वित हुए अनुमानित लाभ जो अर्जित किया जाएगा गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन परियोजना के 'बिना' और 'सहित' बुनियादी ढांचे की क्षति का प्रभाव और प्रक्षेपण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए तूफानी जल/वर्षा जल संचयन के माध्यम से शहरी जल आपूर्ति का % अर्थात शहरी क्षेत्र की जल सुरक्षा"	

स्वच्छता संबंधी परियोजनाएँ

क्र.सं.	**मद**	**टिप्पणियां**	**उत्तर (हां / नहीं)**
1	**तकनीकी पहलू**		
1.1	**सामान्य**		
1.1.1	क्या परियोजना नगर स्वच्छता योजना के अनुरूप है		
1.1.2	क्या प्रस्तावित परियोजनाएँ नई हैं या मौजूदा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण/पुनरुद्धार/विस्तार हैं		

1.1.3	क्या शहर/नगर ने लागू सेवा कवरेज संकेतकों के लिए आधार रेखा का मूल्यांकन किया है?	शौचालयों (व्यक्तिगत या समुदायिक) का कवरेज, सीवरेज नेटवर्क सेवाओं का कवरेज, सीवरेज के संग्रह की दक्षता, उपचार में दक्षता	
1.2	**भुगतान और उपयोग शौचालय**		
1.2.1	मौजूदा और प्रस्तावित स्थितियों में शौचालय, पहुंच, जल कनेक्टिविटी और शौचालय घनत्व का विवरण। भुगतान और उपयोग शौचालय विकास भाग के प्रासंगिक अनुबंधों में, जहां कहीं भी विस्तृत विवरण देनी हो, प्रस्तुत किया जाए		
1.2.3	विस्तार/नए शौचालयों के औचित्य को मांग मूल्यांकन, जनसंख्या अनुमान और निर्माण योजनाओं के साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए		
1.3	**सीवरेज नेटवर्क**		
1.3.1	मौजूदा सीवरेज नेटवर्क, क्षमता और शहर-व्यापी कनेक्टिविटी, और उपचार संयंत्रों के साथ एकीकरण, उपचार क्षमता, उपचार दक्षता, सीवरेज उपचार के प्रकार (द्वितीयक / तृतीयक) और मौजूदा और प्रस्तावित स्थितियों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का विवरण। सीवरेज नेटवर्क विकास भागों के प्रासंगिक अनुबंधों में, जहां कहीं भी विस्तृत विवरण देनी हो, प्रस्तुत किया जाए		
1.3.2	सीवरेज नेटवर्क और उपचार क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण /विस्तार/नवीनीकरण करने के औचित्य को मांग मूल्यांकन, जनसंख्या अनुमान, क्षमता वृद्धि आवश्यकताओं और निर्माण योजनाओं के साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।		
1.4	**सीवेज उपचार संयंत्र/अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र**		

1.4.1	मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता के साथ-साथ उत्पन्न अपशिष्ट, प्रौद्योगिकियों, संग्रह और पृथक्करण के तरीकों और मौजूदा और प्रस्तावित स्थितियों में दक्षता का विवरण। अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र विकास भागों के प्रासंगिक अनुबंधों में, जहां भी विस्तृत विवरण देनी हो, प्रस्तुत किया जाए		
1.4.2	नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के विस्तार/पुनर्निर्माण/निर्माण के औचित्य को अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता, क्षमता और दक्षता वृद्धि आवश्यकताओं और निर्माण योजनाओं के साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।		
2	**लाभ एवं औचित्य**		
2.1	परियोजना का समग्र प्रभाव का आकलन और विवरण किये जाने की आवश्यकता है	संभावित (भुगतान और उपयोग/सामुदायिक शौचालयों की संख्या, शौचालय घनत्व, किलोमीटर में सीवरेज नेटवर्क, एमएन टीएनएस में कुल सीवरेज उपचार क्षमता, एमएन टीएनएस में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपचार संयंत्र की संख्या) जनसंख्या/परिवार जो लाभान्वित हुए अनुमानित लाभ जो अर्जित किया जाएगा गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन परियोजना के 'बिना' और 'सहित' आय और नकद विवरण प्रस्तुत किया जाना है	

सड़क एवं पुल परियोजनाएं

क्र.सं.	**मद**	**टिप्पणियां**	**उत्तर**

			(हां / नहीं)
1	**तकनीकी पहलू**		
1.1	**सामान्य**		
1.1.1	क्या प्रस्तावित परियोजनाएँ नई हैं या मौजूदा सड़कों का सुदृढ़ीकरण हैं		
1.1.2	सड़क परियोजनाओं के प्रकार - शहरी सड़कें, जिला सड़कें, परियोजना सड़कें		
1.1.2	क्या उचित मौसम कनेक्टिविटी प्रस्तावित है, इसके कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए		
1.2	**सड़क परियोजनाएं**		
1.2.1	मौजूदा और प्रस्तावित स्थितियों में सड़क मार्ग, वाहन मार्ग, फुटपाथ की मोटाई (गठन, उप-आधार, बेस कोर्स, ब्लैकटॉपिंग), पुलियों और छोटे पुलों का विवरण प्रासंगिक अनुबंधों में प्रस्तुत किया जाना है। सीमेंट कंक्रीट भागों का विस्तार, जहां भी प्रदान करना हो, विस्तार में प्रस्तुत किया जाए।		
1.2.2	चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के औचित्य को निर्माण के वर्ष के साथ-साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए		
1.3	**पुल परियोजनाएं**		
1.3.1	हाइड्रोलिक डेटा, नींव के भू-तकनीकी विवरण, डिजाइन विवरण और चित्र प्रस्तुत किए जाएं पुल परियोजनाओं को विस्तृत जांच के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए		
2	**लाभ एवं औचित्य**		
2.1	परियोजना का समग्र प्रभाव जिसका मूल्यांकन और विस्तृत विवरण दिए जाने की जरूरत है	संभावित (सड़क विस्तार किमी में और पुल मी में) दूरी में कमी (किमी) जनसंख्या जो लाभान्वित हुए विपणन/पर्यटन/तीर्थस्थल केंद्रों तक पहुंच (संख्याएं देनी होंगी)	

		वीओसी आदि में संभावित बचत के साथ पीसीयू डेटा। गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन परियोजना के 'बिना' और 'सहित' आय और नकद विवरण प्रस्तुत किया जाना है	

शवदाहगृह निर्माण परियोजनाएं

क्र.सं.	**मद**	**टिप्पणियां**	**उत्तर (हां / नहीं)**
1	**तकनीकी पहलू**		
1.1	क्या प्रस्तावित परियोजनाएं नया निर्माण/ मौजूदा शवदाहगृहों में सुधार हैं		
1.2	प्रस्तावित शवदाह गृह विद्युत वाले हैं या गैस से संचालित?		
1.3	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भवन परियोजना का प्रकार, स्थलाकृति, फिजियोग्राफी और भूविज्ञान), साइट सर्वेक्षण रिपोर्ट और जांच, कार्यात्मक और इंजीनियरिंग डिजाइन। अनुमोदित चित्र/विवरण प्रासंगिक अनुबंधों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।		
1.4	निर्माण के औचित्य को निर्माण के वर्ष और निर्माण योजनाओं के साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए		
2	**लाभ एवं औचित्य**		
2.1	परियोजना का समग्र प्रभाव जिसका मूल्यांकन और विस्तृत विवरण दिए जाने की जरूरत है	संभावित (श्मशान घाटों की संख्या, श्मशान घाट का घनत्व और पहुंच) जनसंख्या/परिवार जो लाभान्वित हुए अनुमानित लाभ जो अर्जित किया जाएगा गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन	

		परियोजना के 'बिना' और 'सहित' आय और नकद विवरण प्रस्तुत किया जाना है भस्मक/गैस शवदाह गृह के कारण प्रदूषण में कमी	

क्षेत्र विकास परियोजनाएं

क्र.सं.	**मद**	**टिप्पणियां**	**उत्तर (हां / नहीं)**
1	**तकनीकी पहलू**		
1.1	**पुराने कूड़ा स्थल को समाप्त करने से प्राप्त भूमि का व्यापक विकास**		
1.1.1	परियोजना क्षेत्र का विवरण (आकार, स्थलाकृति, फिजियोग्राफी और भूविज्ञान), साइट सर्वेक्षण रिपोर्ट और जांच, अनुमोदित चित्र/विवरण प्रासंगिक अनुबंधों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।		
1.1.2	परियोजना योजना का विवरण (उपयोग का विभाजन, यदि लागू हो तो ज़ोनिंग विवरण)। अनुमोदित चित्र/ब्लूप्रिंट प्रासंगिक अनुबंधों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए		
1.1.3	निर्माण के औचित्य को निर्माण के वर्ष और निर्माण योजनाओं के साथ प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए		
1.2	**व्यापक क्षेत्र विकास परियोजनाएं**		
1.2.1	परियोजना की विस्तृत प्रकृति	भीड़-भाड़ कम करने के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना; विरासत संरक्षण; सार्वजनिक परिवहन के निकट सघन, मिश्रित उपयोग वाले विकास के निर्माण के लिए पारगमन उन्मुखी विकास; ग्रीनफ़ील्ड विकास के लिए नगर नियोजन योजनाएं; अवसंरचना विकास आदि हेतु स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विशेष क्षेत्र विकास योजनाएं। खेल से	

		संबंधित अवसंरचना विकास परियोजनाएं	
1.2.2	परियोजना क्षेत्र का विवरण (जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, उपयोग सांख्यिकी (ऐतिहासिक और पूर्वानुमानित), मांग-मूल्यांकन सर्वेक्षण और प्रस्तावित स्थितियों में प्रभाव का मूल्यांकन		
1.2.3	नए विकास/संरक्षण के औचित्य को प्रासंगिक डेटा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए		
2	**लाभ एवं औचित्य**		
2.1	परियोजना का समग्र प्रभाव जिसका मूल्यांकन और विस्तृत विवरण दिए जाने की जरूरत है	संभावित (प्रभावित लोगों की संख्या, सुविधा घनत्व/उपलब्धता (खेल सुविधाएं), विरासत स्थल में औसत वार्षिक आगंतुक, निजी वाहन यात्रा के किलोमीटर बचाए गए) जनसंख्या/परिवार जो लाभान्वित हुए अनुमानित लाभ जो अर्जित किया जाएगा गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन परियोजना के 'बिना' और 'सहित' आय और नकद विवरण प्रस्तुत किया जाना है प्रभावी नगर नियोजन, पैदल चलने के अनुकूल, सार्वजनिक परिवहन अनुकूल योजना के कारण प्रदूषण में कमी आई है	

अनुबंध II - नई परियोजनाओं के लिए परियोजना सारांश प्रारूप

_____ सरकार

शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत ऋण हेतु परियोजना सारांश रिपोर्ट

(ग्रीनफ़ील्ड परियोजना)

परियोजना का नाम:

परियोजना का प्रकार (गतिविधियों की पात्र सूची के तहत चयन किया जाना है):

परियोजना का विवरण

[एक या दो वाक्यों में, परियोजना के उद्देश्य को स्पष्ट करें और उस समस्या का सारांश दें जिसे परियोजना परिमाण, लक्षित वर्ग, आदि और पात्र सूची के अनुसार परियोजना के प्रकार के संदर्भ में हल करने के लिए निर्धारित करती है]

परियोजना स्थल

[अतिरिक्त अनुबंधों के साथ नीचे उल्लिखित विवरण साझा करें, यदि कोई हो]

i. पता पंक्ति 1:
ii. सड़क / लैंडमार्क:
iii. नगर/शहर:
iv. जिला:
v. पिन कोड:

सामान्य विवरण

[अतिरिक्त अनुबंधों के साथ नीचे उल्लिखित विवरण साझा करें, यदि कोई हो]

i. क्या परियोजनाओं की जांच और प्राथमिकता निर्धारण हेतु

राज्य-स्तरीय समिति द्वारा परियोजना को प्राथमिकता दी गई है (संबंधित समिति की बैठक के कार्यवृत्त के साथ) : हां/नहीं

ii. क्या परियोजना से राजस्व सृजन होगा : हां/नहीं

iii. कार्यान्वयन एजेंसी :

iv. क्या परियोजना से राजस्व उत्पन्न होगी/उपयोगकर्ता-शुल्क का प्रावधान होगा : हां/नहीं

मंजूरी विवरण

i. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय : हां/नहीं

ii. कल्याण मंत्रालय (पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास) : हां/नहीं

iii. प्राप्त अन्य मंजूरियां, यदि कोई हों :

iv. भूमि अधिग्रहण की स्थिति – (क्या भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित/उपलब्ध कराई गई है) : हां/नहीं

वित्तीय विवरण

i. परियोजना परिव्यय (करोड़ रुपये में) :

ii. अनुरोधित शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण (करोड़ रुपये में) :

iii. परियोजना के लिए शेष निधियों के स्रोत (यदि कोई हो) (करोड़ रुपये में) :

iv. परियोजना को पूरा करने की प्रस्तावित अवधि (महीनों में) :

v. एक महीने में अनुमानित राजस्व (राजस्व अर्जित करने वाली परियोजनाओं के लिए) :

vi. परियोजना की मदवार अनुमानित लागत

राशि लाख रूपये में

क्र.सं.	परियोजना के प्रमुख मद/घटक	भौतिक मात्रा	अनुमानित लागत	टिप्पणियां
1				
2				
3				
4				
5				
	कुल			

लाभ

i. आर्थिक लाभ
ii. जनसंख्या/परिवार लाभ
iii. गैर-आवर्ती और आवर्ती रोजगार सृजन

अन्य सूचना

i. परिकल्पित परियोजना जोखिम

ii. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी

प्रमाणपत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि कार्यकारी सारांश और अतिरिक्त दस्तावेज़ों में दी गई जानकारी पूर्ण, सत्य और सही है। हम समझते हैं कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले संवितरण के समय रा.आ.बैंक के साथ साझा करनी होगी।

भवदीय,

सक्षम प्राधिकारी, कार्यान्वय विभाग

(मुहर)

दिनांक:

कार्यान्वयन/वित्त विभाग

(मुहर)

अनुबंध III - संवितरण आवेदन प्रारूप

<u>शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत</u>

<u>आहरण आवेदन</u>

(रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रतिलिपि जमा करना होगा)

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

राष्ट्रीय आवास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय

_____

प्रिय महोदय,

_____को समाप्त तिमाही/माह हेतु शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत आहरण आवेदन

1. कृपया परियोजनाओं के संबंध में _____ करोड़ रुपये की स्वीकृति के संबंध में सूचित करने हेतु दिनांक _____की अपने स्वीकृति पत्र संख्या का संदर्भ लें (कृपया निर्दिष्ट करें)।

2. हमने अपने पत्र संख्या_____ दिनांक _____ के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र की प्रतिलिपि प्रति लौटाकर, ऊपर उल्लिखित आपके स्वीकृति पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों पर राज्य सरकार की स्वीकृति से आपको अवगत करा दिया था।

3. हम _____में समाप्त तिमाही/माह तक कथोक्त परियोजनाओं के संबंध में किए गए कार्यों की लागत के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि के संबंध में ____ करोड़ रुपये (अनुबंध-क का कॉलम 9) की ऋण राशि निर्मोचित करने हेतु आवेदन करते हैं। किए गए व्यय और उसके दावे का विवरण अनुबंध क और ख में प्रस्तुत किया गया है।

4. इस संबंध में हम प्रमाणित करते हैं कि:

   i. वर्तमान आहरण के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत मांगी गई राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा /कोई सीमा तय नहीं की गई है, के अंतर्गत है (प्रपत्र-I में प्रमाणपत्र संलग्न है);

   ii. _____ विभाग ने रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना की संशोधित लागत हेतु सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त कर ली है;

   iii. जिन परियोजनाओं हेतु रा.आ.बैंक से वित्तीय सहायता मांगी गई थी, उनसे संबंधित निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निविदा समिति का गठन किया गया था;

   iv. राज्य सरकार ने वास्तव में अनुबंध क में "व्यय विवरण" में दर्शाई गई राशि खर्च की है। इसके अलावा, स्वीकृति पत्र के अनुसार राज्य सरकार का आनुपातिक हिस्सा प्रदान किया गया है या व्यय किया गया है।

   v. प्रतिपूर्ति के इस दावे में परियोजनाओं पर _____ से पूर्व की गई कोई व्यय शामिल नहीं है; (लागू श्रृंखला की शुरुआत)

   vi. आहरण आवेदन के तहत दावा की गई राशि का दावा पूर्व में शहरी अवसंरचना विकास निधि या

वित्त की किसी अन्य योजना के तहत रा.आ.बैंक से नहीं किया गया है;

vii. वर्तमान आहरण का उपयोग मौजूदा ऋणों की चुकौजी हेतु नहीं बल्कि नए पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा (प्रपत्र-II में वचन पत्र संलग्न है)।

viii. परियोजनाओं का निष्पादन और पूर्णता _____विभाग (कार्यान्वयन विभाग का नाम) द्वारा रा.आ.बैंक को प्रस्तुत सीपीएम/पीईआरटी चार्ट के अनुसार प्रगति पर है;

ix. व्यय के अलग-अलग लेखा (परियोजना-वार) _____ विभाग (कार्यान्वयन विभाग का नाम) द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं;

x. निर्धारित विनिर्देश के अनुसार परियोजना स्थल पर परियोजना प्रदर्शन बोर्ड लगाया गया है।

xi. राज्य सरकार को मूलधन की चुकौती/भुगतान और ब्याज के भुगतान हेतु सालाना अपने बजट में पर्याप्त और विशिष्ट प्रावधान करनी होगी और इस प्रकार किए गए वार्षिक बजटीय आवंटन को समय-समय पर रा.आ.बैंक को देय बकाया की चुकौती/भुगतान के लिए न्यास में रखा जाएगा। (प्रापत्र-III में वचन पत्र संलग्न है)।

हम उपरोक्त राशि और ब्याज और ऐसे ब्याज दर पर और ऋण राशि निर्मोचित करते समय/ रा.आ.बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित चुकौती/भुगतान अनुसूची के अनुसार लगने वाले/देय ब्याज चुकाने के लिए सहमत हैं।

भवदीय,

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यान्वयन एजेंसी या वित्त विभाग

(मुहर)

लग्नक: अनुबंध क और ख, प्रपत्र I, II और III

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

क. निर्धारित निविदा औपचारिकताओं का पालन करने के बाद कार्य की मदों को _____ सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार निष्पादित किया गया है।

ख. रिपोर्ट किया गया व्यय वास्तव में किया गया है और संबंधित प्रभागों की लेखा बहियों में दर्ज किया गया है।

ग. भौतिक प्रगति सीपीएम/पीईआरटी चार्ट के अनुसार की गई है और संतोषजनक है। (असंतोषजनक भौतिक प्रगति के मामले में/कारण नीचे दिए गए हैं)

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यान्वयन विभाग (मुहर)

तारीख:

अनुबंध - क

(व्यय विवरण)

_____सरकार, वित्त विभाग

(शहरी अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत _____ सरकार द्वारा रा.आ.बैंक को प्रस्तुत दिनांक _____ के आहरण आवेदन के साथ संलग्नक)

माह/तिमाही 20_____ के दौरान शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजना के तहत किए गए कार्यों की लागत का विवरण

							(लाख रू. में)	
क्र. सं.	परियोजना प्रकार	परियोजनाओं की संख्या	रा.आ.बैंक का स्वीकृति पत्र --------- सं. और दिनांक	पिछले माह/तिमाही के अंत तक किए गए कार्यों की लागत	पिछले माह/तिमाही के अंत तक दावा की गई ऋण राशि	संदर्भ के अंतर्गत माह/तिमाही के दौरान किए गए कार्यों की लागत	संदर्भ के अंतर्गत माह/तिमाही के अंत तक किये गये कार्यों की लागत	वर्तमान दावे के लिए ऋण की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

कुल :

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर कॉलम संख्या 8 में दर्शाए गए कार्यों की लागत खर्च की जा चुकी है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यान्वयन वित्त विभाग
(मुहर)

तारीख:

अनुबंध-ख

(परियोजना की प्रगति)

_____ सरकार, वित्त विभाग

(शहरी अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत _____ सरकार द्वारा रा.आ.बैंक को प्रस्तुत दिनांक _____ के आहरण आवेदन के साथ संलग्नक)

20_____को समाप्त माह/तिमाही हेतु यूडीएफ के तहत अनुमोदित चल रही _____ परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय कार्यों की प्रगति

(प्रत्येक परियोजना के लिए प्रस्तुत किया जाना है)

1. परियोजना का नाम:
2. परियोजना प्रारंभ होने की तिथि :
3. अनुमोदित/संशोधित परियोजना लागत (लाख रूपये)
4. 31 मार्च _____तक की लागत (लाख रुपये)
5. पूरा करने की शेष लागत: _____ (लाख रुपये)

प्रमाणित किया जाता है कि:

क) कार्य की मदों को निर्धारित निविदा औपचारिकताओं का पालन करने के बाद _____ सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार निष्पादित किया गया है।

ख) रिपोर्ट किया गया व्यय वास्तव में किया गया है और संबंधित प्रभागों की लेखा बहियों में दर्ज किया गया है।

ग) निष्पादित भौतिक प्रगति सीपीएम/पीईआरटी चार्ट के अनुसार है और संतोषजनक है (असंतोषजनक भौतिक प्रगति के मामले में/कारण नीचे दिए गए हैं)।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यान्वयन वित्त विभाग (मुहर)

तिथि:

(लाख रु.)

क्र.सं.	कार्य का मद	भौतिक		वित्तीय		कुल (5+6)	शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत अपेक्षित ऋण	आगामी तिमाही के दौरान संभावित आहरण	टिप्पणियां
		लक्ष्य	उपलब्धि	पिछले माह/तिमाही तक किया गया व्यय	वर्तमान माह/तिमाही के दौरान किया गया व्यय				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									

7									
8									
9									
10									
कुल									

कार्य की मदें परियोजना के प्रकार पर लागू होंगी।

प्रपत्र-I

(ऋण लेने की सीमाओं का प्रमाण पत्र)

सेवा में,

कार्यालय प्रभारी

राष्ट्रीय आवास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय

_____

प्रिय महोदय,

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि (शहरी अवसंरचना विकास निधि) से

_____

_____ सरकार को अनुमोदित (मात्र_____ रुपये) _____रुपये के ऋण के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि कोई सीमा तय नहीं की गई है/ वर्तमान आहरण सहित शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत कथोक्त ऋण भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत _____ राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

2. इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष _____ के दौरान शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक से लिए गए ऋण की कुल राशि, प्रस्तावित ऋण आहरण सहित, उस राशि से अधिक नहीं है जिसके लिए प्रासंगिक वर्ष हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत भारत सरकार द्वारा सहमति दी गई है।

हस्ताक्षर

सचिव, _____ सरकार
वित्त विभाग

तिथि:

स्थान:

प्रपत्र -II

(वचन पत्र - नए पूंजी निवेश पर वर्तमान आहरण)

_____ सरकार, वित्त विभाग

(शहरी अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत _____ सरकार द्वारा रा.आ.बैंक को प्रस्तुत दिनांक _____ के आहरण आवेदन के साथ संलग्नक)

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि (शहरी अवसंरचना विकास निधि) से _____ _____ सरकार को अनुमोदित _____रुपये के ऋण के संदर्भ में, हम एतद्वारा वचन देते हैं कि वर्तमान आहरण के अनुसार शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत मांगी गई राशि का उपयोग मौजूदा ऋणों के चुकौती/भुगतान हेतु नहीं बल्कि नए पूंजी निवेश के लिए किया जाएगा।

2. इसके अतिरिक्त हम यह वचन देते हैं कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसका उपयोग करने में हमारी असमर्थता की स्थिति में, हमें इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्मोचित पूरी राशि ब्याज या किसी अन्य अर्थदंडात्मक शुल्क सहित वापस करना होगा, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक लगाया/वापस करने पर जोर दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर

सचिव, _____ सरकार
वित्त विभाग

तिथि:

स्थान:

प्रपत्र-III

(वचन पत्र - शहरी अवसरंचना विकास निधि के तहत लिए गए ऋण की चुकौती/भुगतान हेतु बजटीय आवंटन)

कार्यालय प्रभारी
राष्ट्रीय आवास बैंक
_____ क्षेत्रीय कार्यालय
_____

प्रिय महोदय,

_____ राज्य द्वारा वचनपत्र - शहरी अवसरंचना विकास निधि के तहत रा.आ.बैंक से ऋण

चूंकि जल आपूर्ति नेटवर्क, नालियों/तूफानी जल नालियों, राज्य में सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी सड़कें और पुल, श्मशान परियोजनाएं, शहरी क्षेत्र विकास परियोजनाएं आदि के निर्माण और सुधार के उद्देश्य से शहरी अवसरंचना और संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) से _____ राज्य को कोई ऋण और अग्रिम प्रदान करने हेतु रा.आ.बैंक की यह शर्त है, इसलिए राज्य सरकार शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत रा.आ.बैंक द्वारा दिए गए या दिए जाने वाले उक्त ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मूलधन और ब्याज की नियमित और शीघ्र चुकौती/भुगतान करने हेतु एक वचन पत्र निष्पादित करती है।

2. _____ राज्य सरकार (यहां के बाद इसे **"राज्य सरकार"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) निम्नलिखित वचन देती है, सहमत होती है और आश्वासन देती है:-

(i) उपरोक्त दायित्व के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार अपने बजट में प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त ऋणों के संबंध में मूलधन के की चुकौती/भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिए पर्याप्त और विशिष्ट प्रावधान करेगी;

(ii) राज्य सरकार उक्त बजटीय प्रावधानों में से शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्य सरकार के सभी वर्तमान और भविष्य के दायित्वों के संबंध में संबंधित स्वीकृति पत्र (पत्रों) के अनुसार मूलधन की नियमित और त्वरित चुकौती/भुगतान और नियत तारीखों पर ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित और व्यवस्थित करेगी;

(iii) इस प्रकार किए गए वार्षिक बजटीय आवंटन को समय-समय पर रा.आ.बैंक को देय बकाया की चुकौती/भुगतान हेतु न्यास में रखा जाएगा।

(iv) राज्य सरकार इस वचनपत्र को रद्द या वापस नहीं लेगी या अन्यथा अप्रभावी नहीं बनाएगी और यह वचनपत्र शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत रा.आ.बैंक को राज्य सरकार की सभी वर्तमान और भविष्य की बकाया देनदारियों पर तब तक लागू रहेगा, जब तक उपरोक्त ऋण के तहत आकस्मिक बकाया सहित कोई बकाया पूरी तरह से चुकाया नहीं दिया जाता है।

भवदीय,

_____ राज्य, राज्यपाल

कृते और उनकी ओर से

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यान्वयन वित्त विभाग (मुहर)

अनुबंध IV - प्राधिकार पत्र

शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

प्रिय महोदय/महोदया,

स्थान:

तिथि:

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश_____को दिए गए ऋणों पर किश्तों/ब्याज की वसूली

1. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम (इसके बाद "रा.आ.बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)धारा 14 (पी) के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक को, किसी भी राज्य सरकार को _____ के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करने का अधिकार है।
2. रा.आ.बैंक हमारे अनुरोध पर /या हमारे द्वारा दी गई गारंटी पर, _____ (उधारकर्ता/संस्था का नाम) को ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। इसके विचार में, हमें _____ द्वारा विधिवत निष्पादित और भारतीय रिज़र्व बैंक/प्रधान बैंकर के साथ पंजीकृत एक अपरिवर्तनीय अधिकार पत्र (अधिदेश) प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो रा.आ.बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक /प्रधान बैंकर को यह सलाह देने के लिए बिना शर्त अधिकृत करता है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक/प्रधान बैंकर को भारतीय रिज़र्व बैंक/प्रधान बैंकर के पास रखे गए राज्य सरकार के खाते से मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के संबंध में रा.आ.बैंक द्वारा अनुरोधित राशि को तत्काल डेबिट कर दें और उसे रा.आ.बैंक के खाते में या रा.आ.बैंक द्वारा निर्दिष्ट ऐसे खातों में जमा कर दें (ऋण समझौते के तहत रा.आ.बैंक को अपने पुनर्भुगतान दायित्वों का सम्मान करने में राज्य सरकार द्वारा चूक की स्थिति में)। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि संबंधित देय तारीखों पर उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित किसी भी ऋण या ऋणों के संबंध में हमारी तरफ से मूलधन की चुकौती/भुगतान या ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हो, के भुगतान पर कोई चूक होने की स्थिति में हमारे द्वारा जितनी राशि के भुगतान में चूक हो सकती है उतनी राशि आपके साथ हमारे चालू खाता सं. से डेबिट करने हेतु और रा.आ.बैंक को जैसे चाहिए उस तरीके से उस राशि को रा.आ.बैंक को विप्रेषित करने हेतु आपको अनुरोध करने हेतु हमारे द्वारा रा.आ.बैंक को प्राधिकृत किया जाएगा।
3. तदनुसार, हम आपको प्राधिकृत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आपको रा.आ.बैंक से कोई लिखित मांग प्राप्त होती है और हमारे और रा.आ.बैंक के बीच मुद्दों पर किसी भी विवाद के बावजूद, आप हमें संदर्भित किए बिना, हमारे आपके यहां

प्रबंधित हमारे उक्त चालू खाते से उनके लिखित अनुरोध पर रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित राशि डेबिट कर सकते हैं और हमें सूचित करते हुए रा.आ.बैंक को उसी तरीके से भुगतान कर सकते हैं जैसा वे चाहते हैं।

4. हम इस बात से सहमत हैं, कि भारतीय रिज़र्व बैंक इस अधिदेश के तहत प्रत्यक्ष डेबिट का सम्मान करेगा, बशर्ते कि अधिदेश को निष्पादित करने के समय खाते में स्पष्ट और पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध हो। राज्य सरकार के खाते में स्पष्ट शेष का अर्थ है ऐसे खाते में न्यूनतम शेष राशि, विशेष आहरण सुविधा के तहत परिचालन सीमा, अर्थ और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत अधिकृत सीमा को छोड़कर रखी गई राशि। इसके अलावा, ऐसे पुनर्भुगतानों के लिए राज्य बजट में प्रावधान किया जाएगा। यदि किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए राज्य सरकार के खाते में स्पष्ट शेष राशि उपर्युक्त डेबिट को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो इसके खाते को निधियों की उपलब्धता की सीमा तक डेबिट किया जा सकता है, और शेष राशि को बाद में डेबिट किया जाएगा है।

5. हम इस तथ्य से सहमत हैं कि रा.आ.बैंक ने हमारे चालू खाते से डेबिट करने के लिए आपसे लिखित रूप से संपर्क किया है, यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि हमारे द्वारा रा.आ.बैंक को भुगतान की गई राशि के संबंध में कोई चूक हुई है और हमारे लिए रिज़र्व बैंक/रा.आ.बैंक को अलग से सूचना के माध्यम से चूक के तथ्य को स्वीकार करना आवश्यक नहीं होगा।

6. यह प्राधिकार पत्र किसी भी चालू खाते/प्रधान सरकारी जमा खाते (पीजीडीए)/अंतर सरकारी अस्थायी खाते (आईजीटीए) के खिलाफ भी लागू होगा, जो हमारे परवर्तियों द्वारा आपके साथ खोला जा सकता है।

7. रा.आ.बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व सहमति के बिना इस प्राधिकार पत्र को हमारे द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा, और इस प्राधिकार पत्र पर तब तक कार्रवाई की जा सकती है जब तक कि यह प्राधिकार पत्र रद्द नहीं हो जाता है, और मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी लिखित सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्राधिकार पत्र रा.आ.बैंक द्वारा अतीत में दी गई विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं, यदि कोई हो, के संबंध में हमारे द्वारा आपको पहले से दिए गए अधिदेशों पर किसी भी तरह से मौजूदा प्राधिकारों को रद्द या प्रभावित नहीं करता है और उन्हें इस अधिदेश द्वारा प्रतिस्थापित नहीं माना जाएगा।

9. इस अधिदेश में दिए गए प्राधिकार का दायरा केवल _____ निधि में से रा.आ.बैंक द्वारा _____ राज्य सरकार को दिए गए ऋणों पर किश्तों/ब्याज की वसूली के लिए ही वैध और लागू होगा।

कृपया इस पत्र की पावती दें और आपके द्वारा पुष्टि की गई इसकी प्रतिलिपि प्रति रा.आ.बैंक के _____ क्षेत्रीय कार्यालय को भी लौटा दें।

भवदीय,

_____ राज्य, राज्यपाल
कृते और उनकी ओर से
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि प्रति पर भा.रि.बैंक/(एससीबी का नाम) की पुष्टि:

राष्ट्रीय आवास बैंक को लौटा दिया गया है। भा.रि.बैंक/(एससीबी का नाम) उपरोक्त प्राधिकार पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली मांगों का अनुपालन करने के लिए एतद्वारा सहमत है।

कृते भा.रि.बैंक/(एससीबी का नाम)

अधिकृत अधिकारी

अनुबंध V - वचनपत्र प्रारूप

संवितरण के समय राज्य सरकार से प्राप्त किया जाने वाला वचन पत्र का प्रपत्र

(ध्यान दें: यदि उधारकर्ता राज्य सरकार है तो इस वचन पत्र पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है)

_____महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल _____ रु.(मात्र _____रुपए) की राशि समान पांच किस्तों में राष्ट्रीय आवास बैंक को भुगतान करने का वचन देते हैं या आदेश देते हैं, ऐसी पहली किस्तें संवितरण की तारीख से 36 महीने की अवधि की समाप्ति पर तुरंत भुगतान की जाएंगी और बाद की किस्तें संवितरण की तारीख से प्रति वर्ष ___* प्रतिशत पर बकाया राशि पर ब्याज सहित 12 महीने के अंतराल पर भुगतान की जाएंगी, ऐसे ब्याज की गणना त्रैमासिक शेष के साथ की जाएगी और प्रत्येक तिमाही के अंत में देय होगी।

दिनांक:

(हस्ताक्षर)

सचिव, वित्त विभाग
_____ सरकार
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,
कृते और उनकी ओर से
राज्यपाल, _____ राज्य

* जैसा लागू हो

अनुबंध VI - परियोजना कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप

शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का त्रैमासिक कार्यान्वयन प्रगति विवरण

(राज्य सरकार द्वारा रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है)

---

1. परियोजना का नाम
2. जिला/स्थल
3. तैयार किया जाने वाले सीसीए
4. प्रशासनिक स्वीकृति का तथि
5. कुल परियोजना लागत-_____करोड़ रु. (अद्यतित/संशोधित लागत)
6. पिछली तिमाही तक की भौतिक प्रगति (पीईआरटी/बार चार्ट में दर्शाई गई प्रमुख मद के अनुसार मदवार)
7. पिछली तिमाही तक किया गया व्यय
8. तिमाही के दौरान प्रगति

कार्य के प्रमुख मद	तिमाही हेतु लक्ष्य (भौतिक मात्रा)	तिमाही के दौरान उपलब्धि (भौतिक मात्रा)	उपलब्धि प्रतिशत	कमी का कारण (यदि कोई हो)	संचयी प्रगति	तिमाही के दौरान किया गया व्यय (करोड़ रुपये)	तिमाही तक किया गया संचयी व्यय (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8

9. प्रतिपूर्ति

i) दावा राशि रु. तिथि

ii) निर्मोचित राशि रु. तिथि

अनुबंध VII - परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र प्रारूप

परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि शहरी अवसंरचना विकास निधि श्रृंखला/भाग_____ के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना : (नाम) _____ (परियोजना आईडी) _____ ब्लॉक, _____जिला, _____ राज्य, जोकि_____ को प्रारंभ हुई थी, शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण की स्वीकृति के सामान्य और विशेष नियम और शर्तों के अनुसार _____ तारीख को पूरी हो गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत नियोजित सभी भौतिक कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे कर लिए गए हैं।

उम्मीद है कि परियोजना स्वीकृति के समय निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करेगी।

उपरोक्त परियोजना के संबंध में विस्तृत परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (पीसीआर) इस प्रमाणपत्र की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर रा.आ.बैंक को प्रस्तुत की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यान्वयन विभाग (मुहर)

_____सरकार

दिनांक:

अनुबंध VIII - परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रारूप

क. सभी परियोजनाओं में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट की सामान्य बिंदुएं

1. राज्य :
2. परियोजना का नाम :
3. परियोजना स्थल :
   (नगर/जिला)
4. परियोजना विवरण : **राशि (लाख रु.)**

क्र.सं.			वित्तीय विवरण	

	परियोजना के प्रमुख मद/घटक	भौतिक मात्रा	अनुमानित लागत	वास्तविक व्यय	टिप्पणियाँ (भिन्नता के कारण, यदि कोई हों)
1					
2					
	कुल				

5. कार्यान्वयन एजेंसी :

6. स्वीकृति का विवरण :

क. प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि (एए) :

ख. अनुमोदित राशि (लाख रु.) :

ग. तकनीकी स्वीकृति की तिथि :

7. परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि :

8. स्वीकृति के अनुसार पूरा होने की निर्धारित तिथि :

9. कार्य के वास्तविक पूर्ण होने की तिथि :

10. एनएचबी स्वीकृति पत्र की संख्या और तारीख :

11. शहरी अवसंरचना विकास निधि स्वीकृति (लाख रुपये) :

क. श्रृंखला/भाग एवं परियोजना आईडी :

ख. परियोजना परिव्यय :

ग. आरआईडीएफ ऋण स्वीकृत
होने से पहले किया गया व्यय :

घ. शेष लागत :

ङ. शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण :

च. राज्य सरकार का अंशदान :

12. निर्मोचित शहरी अवसंरचना विकास निधि ऋण (लाख रुपए) :

13. नवीनतम व्यय विवरण :

(प्रारंभ से वर्षवार)

वित्त वर्ष	राशि (लाख रुपए)
कुल	

14. किए गए व्यय का विवरण :

क. स्वीकृति के अनुसार परियोजना लागत :

ख. पूर्ण होने पर वास्तविक व्यय :

ग. अतिरिक्त/बचत :

15. अतिरिक्त/बचत के कारण :

16. प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि _____ परियोजना के संबंध में स्वीकृति में परिकल्पित सभी मदें सभी प्रकार से पूरी कर ली गई हैं और कोई भी भौतिक कार्य शेष नहीं है। कार्य स्वीकृति में निर्धारित विशिष्टताओं और बेहतर इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुसार किया गया है। परियोजना स्वीकृति के समय निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यान्वयन वित्त विभाग (मुहर)

तिथि:

अनुबंध (i)

1. परियोजना का संक्षिप्त विवरण :

2. ब्लॉक मानचित्र में परियोजना स्थल :

3. अप्रत्यक्ष लाभ :

4. अनुरक्षण व्यवस्था :

   क. बजटीय स्रोत :

   ख. कोई अन्य स्रोत (कृपया निर्दिष्ट करें) :

5. परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएँ, यदि कोई हों :

6. परियोजना की उपयोगिता पर लाभार्थियों के विचार :

7. परियोजना का छायाचित्र (रंगीन) :

8. अपनाए गए सुरक्षा उपाय/गुणवत्ता मानक :

9. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

ख. सभी परियोजनाओं में परियोजना पूर्णता रिपोर्ट की विशेष बिंदुएं

<u>जल आपूर्ति नेटवर्क परियोजनाएं</u>

1. डिज़ाइन की गई आपूर्ति (एलपीसीडी में) :

2. जल प्रभार

क. निजी कनेक्शन :

ख. स्टैंड पोस्ट कनेक्शन :

अनुबंध (i)

1. प्रत्यक्ष लाभ/अपेक्षित लाभ :

   क. रोजगार सृजन (गैर-आवृत्ति)

      लाख मानव दिवस में :

   ख. उपचार सुविधाओं की संख्या :

   ग. लाभान्वित परिवारों की संख्या :

   घ. लाभान्वित वाणिज्यिक इकाईयों की संख्या :

ङ. लाभान्वित शहरी आबादी :

च. जल गुणवत्ता मेट्रिक्स:-

च.1. घुलित ऑक्सीजन :

च.2. पीएच :

च.3 तापमान :

च.4. खारापन :

च.5. पोषक तत्त्व :

छ. घरेलू और वाणिज्यिक जल आपूर्ति

कनेक्शन का कुल % :

ज. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

<u>जल निकासी संबंधी परियोजनाएं</u>

अनुबंध (i)

1. प्रत्यक्ष लाभ/अपेक्षित लाभ :

क. रोजगार सृजन (गैर-आवृत्ति)

लाख मानव दिवस में :

ख. जुड़ी कुल अतिरिक्त क्षमता :

ग. जल निकासी प्रणाली की दक्षता (प्रवाह दर) :

घ. लाभान्वित परिवारों की संख्या :

ङ. लाभान्वित वाणिज्यिक इकाईयों की संख्या :

च. लाभान्वित शहरी आबादी :

छ. शहरी जल आपूर्ति लिंकेज

(तूफानी जल नालों के माध्यम से जल आपूर्ति का %) :

ज. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं

अनुबंध (i)

1. प्रत्यक्ष लाभ/अपेक्षित लाभ :

   क. रोजगार सृजन (गैर-आवृत्ति)

      लाख मानव दिवस में :

   ख. क्षेत्र में कुल शौचालय घनत्व :

   ग. भुगतान एवं उपयोग/सामुदायिक शौचालयों की संख्या :

   घ. कुल सीवरेज उपचार क्षमता (मैट्रिक टन) :

   ङ. कुल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता (मैट्रिक टन) :

   च. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की संख्या :

   छ. लाभान्वित परिवारों की संख्या :

   ज. लाभान्वित वाणिज्यिक इकाईयों की संख्या :

   झ. लाभान्वित शहरी आबादी :

   ञ. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

सड़क एवं पुल परियोजनाएं

1. परियोजना स्थल :

   (नगर/जिला)

      क. जरीब दूरी (किमी) :

         i. से :

         ii. तक :

         iii. लंबाई :

      ख. अनुबंध (i) के अनुसार अन्य प्रासंगिक विवरण :

         जो प्रस्तुत किया जा सकता है

2. परियोजना प्रकार (कृपया सही का निशान लगाएं)

      क. नई :

      ख. उन्न्यन/सुदृढ़ीकरण :

3. परियोजना डिज़ाइन संक्षिप्त तकनीकी विवरण :

(अनुबंध II और III के अनुसार)

4. दोष दायित्व अवधि (पूरा होने के बाद वर्षों की संख्या): :

5. टोल जो वसूलना प्रस्तावित होगा :

अनुबंध (i)

1. प्रत्यक्ष लाभ/अपेक्षित लाभ :

क. रोजगार सृजन (गैर-आवृत्ति)

लाख मानव दिवस में :

ख. जुड़े नगरों/जिलों की संख्या :

ग. लाभान्वित आबादी :

घ. जुड़े हुए विपणन केंद्र :

ङ. दूरी में कमी का विवरण

(विकास पूर्व की तुलना में विकास के बाद की स्थिति) :

च. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

2. दोष दायित्व अवधि

के बाद अनुरक्षण की व्यवस्था :

क. बजटीय स्रोत :

ख. कोई अन्य स्रोत (कृपया निर्दिष्ट करें) :

<u>अनुबंध (ii)</u>

शहरी अवसंरचना विकास निधि - सड़क परियोजनाएं-तकनीकी विवरण

क्र. सं.	स्थिति	सड़क की		सड़क मार्ग	वाहन मार्ग की	लेन (सिंगल/	फुट पाथ	
							मोटाई (मिमी)	सामग्री

		लंबाई (किमी)	सड़क की श्रेणी	की चौड़ाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	इंटरमीडिएट/डबल)	उपाधार	आधार	सतह	कुल	उपाधार	आधार	सतह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	विकास पूर्व (मौजूदा)												
2.	स्वीकृति के अनुसार												
3.	विकास पश्चात (अंतिम)												
4.	आई.आर.सी मानक के अनुसार												

नोट: यदि परियोजना विभिन्न खंडों में प्रस्तावित की जा रही है, तो सड़क के प्रत्येक खंड के लिए उपरोक्त विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

अनुबंध **(iii)**

शहरी अवसंरचना विकास निधि - पुल परियोजनाएं-तकनीकी विवरण

क्र.सं.	स्थिति	सपर्क सड़क		लंबाई (मी)	चौड़ाई (मी)	स्पैन की संख्या	स्पैन की लंबाई (मी)	प्रकार	
		श्रेणी	सड़क मार्ग चौड़ाई (मी)					नींव	सुपर स्ट्रक्चर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विकास पूर्व (मौजूदा)								

2. 3. 4.	स्वीकृति के अनुसार विकास पश्चात (अंतिम) आई.आर.सी मानक के अनुसार								

<u>शवदाहगृह निर्माण परियोजनाएं</u>

अनुबंध (i)

1. प्रत्यक्ष लाभ/अपेक्षित लाभ :

   क. रोजगार सृजन (गैर-आवृत्ति)

      लाख मानव दिवस में :

   ख. शवदाहगृहों की संख्या :

   ग. शवदाहगृहों का घनत्व :

   घ. लाभान्वित वाणिज्यिक इकाईयों की संख्या :

   ङ. लाभान्वित शहरी आबादी :

   च. लाभान्वित परिवारों की संख्या :

   छ. भस्मक/गैस शवदाह गृह के कारण

      प्रदूषण में % कमी :

   ज. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

<u>क्षेत्र विकास परियोजनाएं</u>

अनुबंध (i)

1. प्रत्यक्ष लाभ/अपेक्षित लाभ :

   क. रोजगार सृजन (गैर-आवृत्ति)

      लाख मानव दिवस में :

ख. प्रभावित लोगों की संख्या :

ग. सुविधा घनत्व/उपलब्धता (खेल सुविधा) :

घ. लाभान्वित वाणिज्यिक इकाईयों की संख्या :

ङ. विरासत स्थल के औसत वार्षिक आगंतुकों में वृद्धि :

च. किलोमीटर में निजी वाहन की यात्रा बचत :

छ. लाभान्वित शहरी आबादी :

ज. लाभान्वित परिवारों की संख्या :

झ. प्रभावी नगर नियोजन, पैदल यात्रा
और सार्वजनिक परिवहन अनुकूल योजना के कारण
प्रदूषण में % की कमी :

ञ. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी :

अनुबंध IX - परियोजना प्रदर्शन बोर्ड नमूना प्रारूप

<u>शहरी अवसंरचना विकास निधि परियोजना – रा.आ.बैंक द्वारा वित्तपोषित</u>

द्वारा कार्यान्वित:

(विभाग**)**

परियोजना का नाम:

स्थल:

शहरी अवसंरचना विकास निधि श्रृंखला/भाग:

परियोजना कोड:

परियोजना लागत:

रा.आ.बैंक ऋण:

प्रारंभ तिथि:

पूरा होने की निर्धारित तिथि:

ठेकेदार का नाम:

ध्यान दें:

i. बोर्ड का न्यूनतम आकार 6"x4" हो सकता है
ii. पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग में अक्षर
iii. परियोजना बोर्ड को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए

अनुबंध X - शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत प्रक्रिया प्रवाह

क. आबंटन

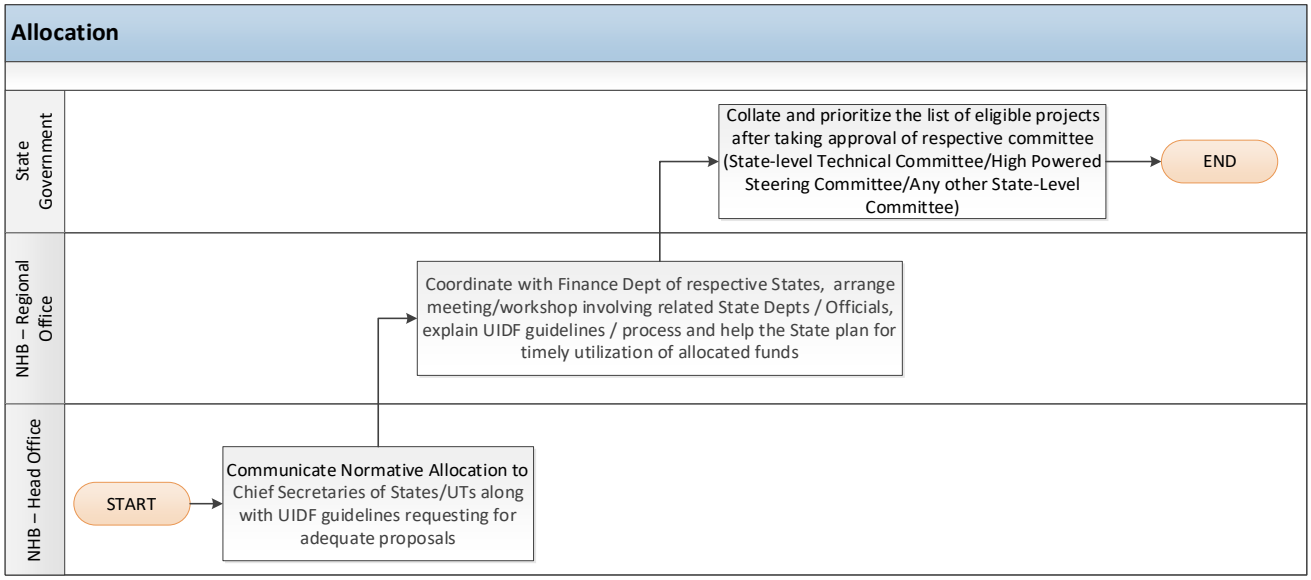

राज्य सरकार		संबंधित समिति (राज्य स्तरीय तकनीकी समिति/उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति/कोई अन्य राज्य स्तरीय समिति) के स्वीकृति के पश्चात पात्र परियोजनाओं की सूची की मिलान करें और प्राथमिकता निर्धारण करें	समाप्त
रा.आ.बैंक-क्षेत्रीय कार्यालय		संबंधित राज्यों के वित्त विभाग से समन्वय करें, संबंधित राज्य विभागों/अधिकारियों को शामिल करते हुए बैठक/कार्यशाला की व्यवस्था करें, शहरी अवसंरचना विकास निधि दिशानिर्देश/प्रक्रिया को विस्तार से बताएं और राज्य को आबंटित निधियों के समय पर उपयोगिता हेतु योजना बनाने में सहायता करें	
रा.आ.बैंक-मुख्य कार्यालय	शुरू	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पर्याप्त प्रस्तावों हेतु अनुरोध करते हुए शहरी अवसंरचना विकास निधि दिशा-निर्देशों सहित मानकीय आबंटन के संबंध में सूचित करें	

ख. स्वीकृति

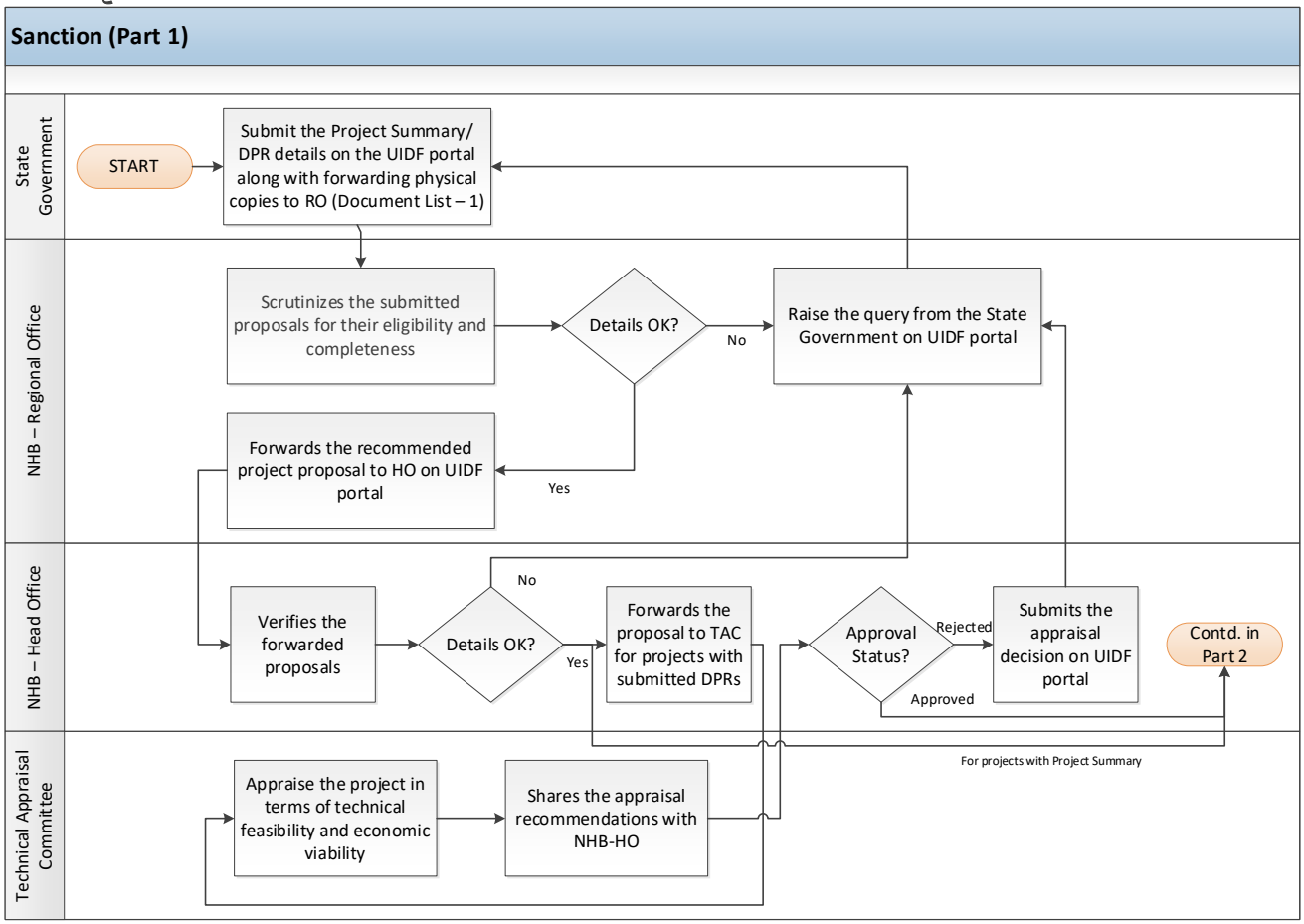

Document List – 1
i. Geo-tagged images for the project
ii. Utilization certificates/ pictures showcasing project progress/ project status reports (for ongoing projects)
iii. Administrative Approval (MoM), wherever available
iv. Technical Sanction (MoM), wherever available
v. Detailed Project Report (DPR), wherever available
vi. Project Summary in case of new projects

स्वीकृति (भाग 1)			
राज्य सरकार	शुरू	भौतिक प्रतियां (दस्तावेज सूची-1) आरओ को अग्रेषित करते हुए शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर परियोजना सारांश/डीपीआर विवरण प्रस्तुत करें	
रा.आ.बैंक-क्षेत्रीय कार्यालय		उनकी पात्रता और पूर्णता हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों की संवीक्षा करें → विवरण ठीक है? शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर राज्य सरकार से प्रश्न पूछें नहीं अनुशंसित परियोजना प्रस्ताव को शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर मुख्य कार्यालय को अग्रेषित करें हां	
रा.आ.बैंक-मुख्य कार्यालय		नहीं अग्रेषित प्रस्तावों को सत्यापित करें → विवरण ठीक है? → प्रस्तुत डीपीआर के साथ परियोजनाओं हेतु प्रस्तावों को टीएसी को अग्रेषित करें अस्वीकृत हां	भाग 2 में जारी

		→ स्वीकृति स्थिति शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर मूल्यांकन निर्णय प्रस्तुत करें अनुमोदित	
तकनीकी मूल्यांकन समिति		तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के संदर्भ में परियोजना का मूल्यांकन करें रा.आ.बैंक मुख्य कार्यालय को मूल्यांकन सिफरिशें साझा करें	

दस्तावेज सूची – 1

i. परियोजना हेतु जियो टैग की गई तस्वीरें
ii. उपयोगिता प्रमाणपत्र/ परियोजना की प्रगतियों को दर्शाती तस्वीरें/परियोजना स्थिति रिपोर्ट (चल रही परयिोजनाओं हेतु)
iii. प्रशासनिक स्वीकृति (एमओएम), जहां भी उपलब्ध हो
iv. तकनीकी स्वीकृति (एमओएम), जहां भी उपलब्ध हो
v. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जहां भी उपलब्ध हो
vi. नए परियोजनाओं के मामलें में परियोजना सारांश

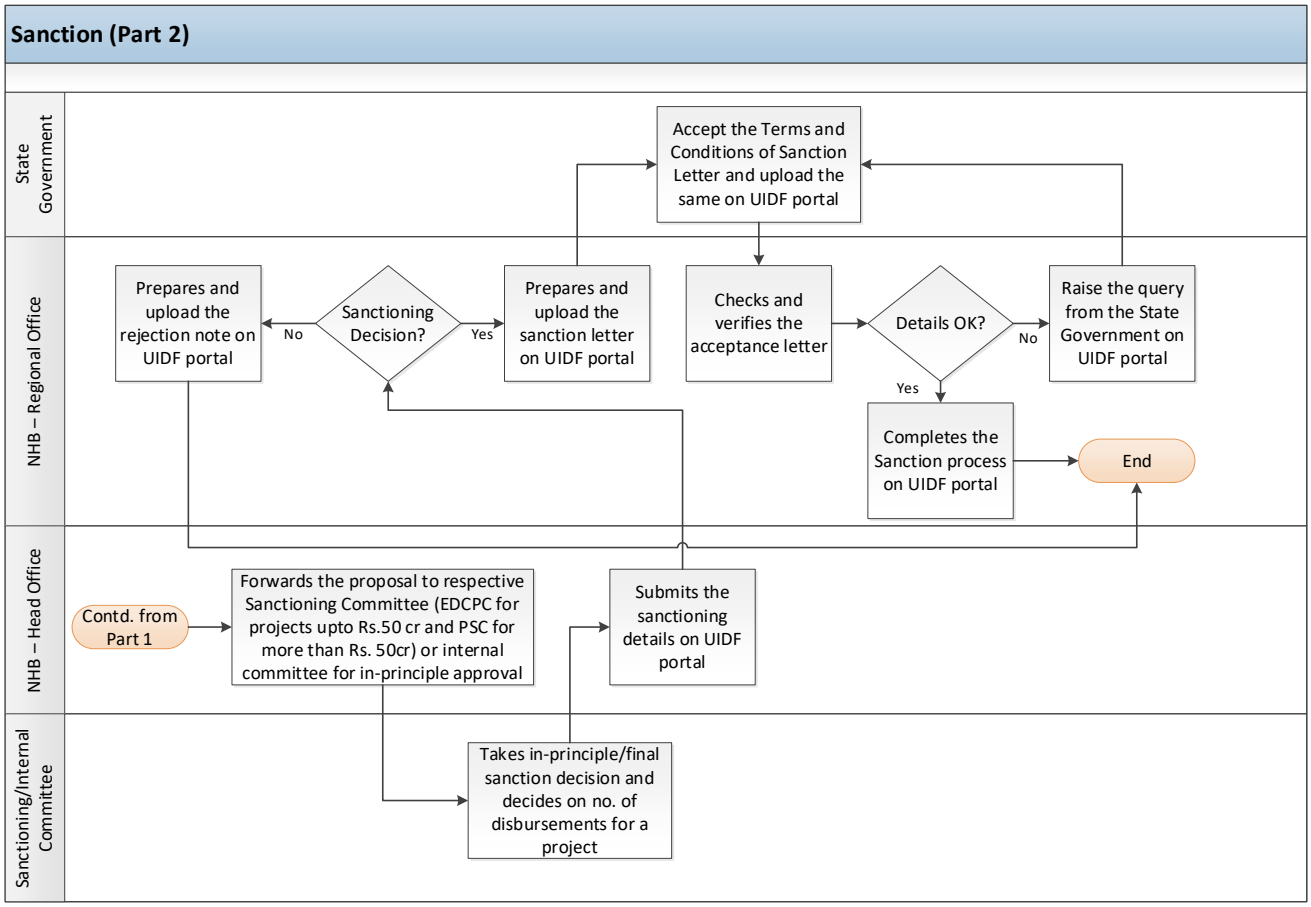

स्वीकृति (भाग 2)			
राज्य सरकार		स्वीकृति पत्र के नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें और इसे शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर अपलोड करें	

रा.आ.बैंक-क्षेत्रीय कार्यालय		अस्वीकृति नोट तैयार करें और शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर अपलोड करें स्वीकृति निर्णय स्वीकृति पत्र तैयार करें और शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर अपलोड करें स्वीकृति पत्र को जांचें और सत्यापित करें विवरण ठीक है शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर राज्य सरकार से प्रश्न पूछें स्वीकृति प्रक्रिया शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर पूरा करें नहीं हां	समाप्त
रा.आ.बैंक-मुख्य कार्यालय	भाग 1 से जारी	संबंधित स्वीकृति समिति (50 करोड़ रू. तक के प्रस्तावों हेतु ईडीसीपीसी और 50 करोड़ रु. से अधिक प्रस्तावों हेतु पीएससी) को प्रस्ताव अग्रेषित करें शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर स्वीकृति विवरण प्रस्तुत करें	
स्वीकृति/आंतरिक समिति		सैद्धांतिक/अंतिम स्वीकृति निर्णय लें और परियोजना हेतु संवितरण की संख्याओं पर निर्णय लें	

ग. संवितरण

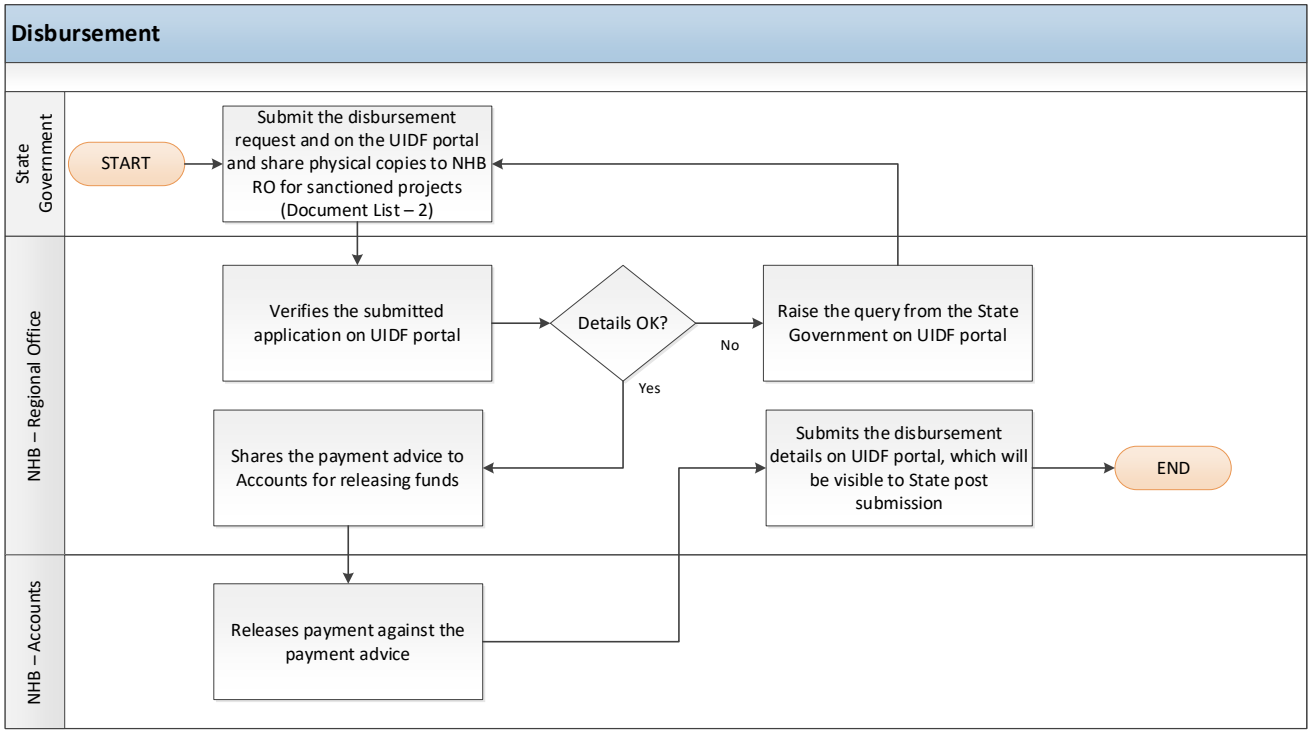

Document List – 2
i. Disbursement Application
ii. Letter of Authority
iii. Time Promissory Note
iv. Bills of works
v. Project Progress Geo-tagged photographs

संवितरण			
राज्य सरकार	शुरु	शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर संवितरण अनुरोध प्रस्तुत करें और स्वीकृत परियोजनाओं हेतु रा.आ.बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भौतिक प्रतियां साझा करें दस्तावेज सूची-2)	
रा.आ.बैंक-क्षेत्रीय कार्यालय		शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर प्रस्तुत आवेदन को सत्यापित करें विवरण ठीक हैं शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर राज्य सरकार से प्रश्न पूछें	अंत
		हां नहीं	
		निधियां निर्मोचित करने हेतु भुगतान नोट लेखा विभाग के साथ साझा करें यूआईडी पोर्टल पर संवितरण विवरण प्रस्तुत करें जोकि प्रस्तुति के बाद राज्य को दिखेगा	
रा.आ.बैंक-लेखा		भुगतान नोट के आधार पर निधि निर्मोचित करें	

दस्तावेज सूची-2
i. संवितरण आवेदन

ii.	प्राधिकार पत्र
iii.	समय वचनपत्र
iv.	कार्यों के बिल
v.	परियोजना प्रगति की जियो टैग की गई तस्वीरें

घ. चुकौती/भुगतान

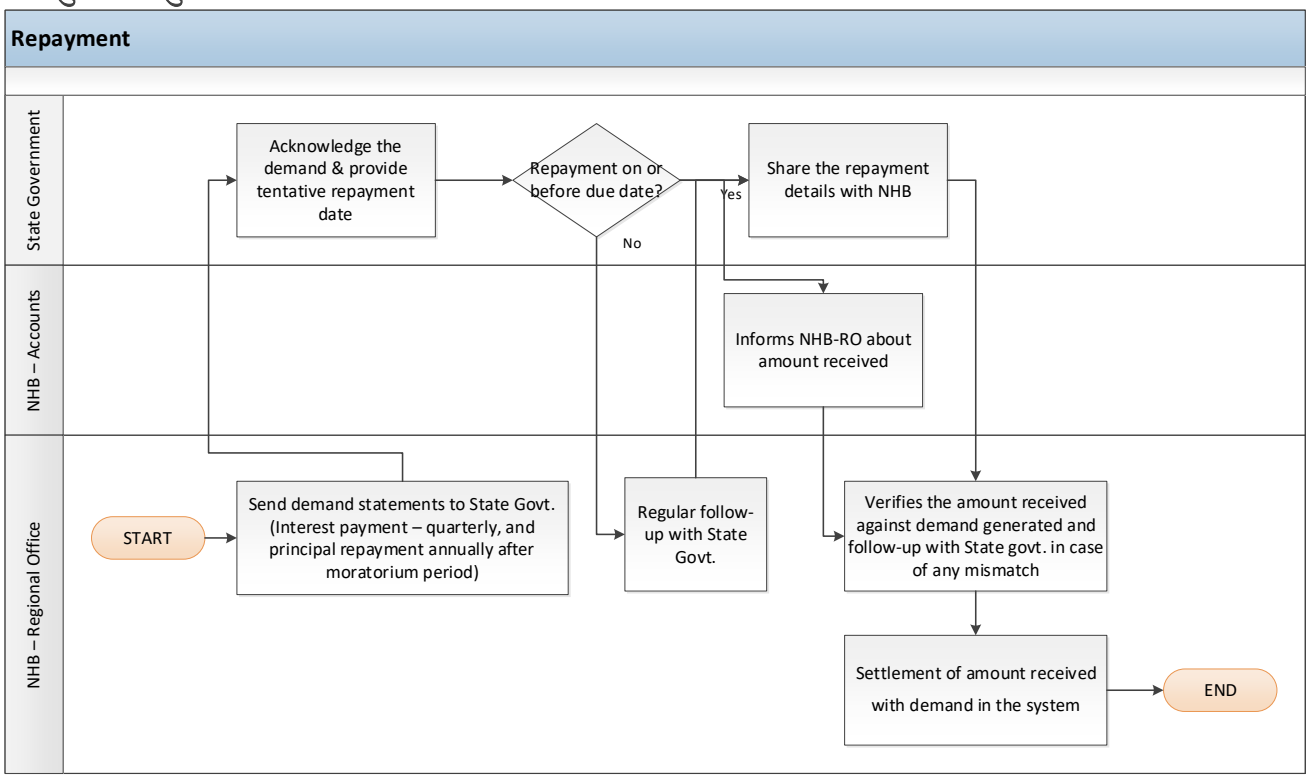

चुकौती/भुगतान			
राज्य सरकार		मांग की पावती दें और अनुमानित चुकौती/भुगतान तिथि उपलब्ध कराएं देय तारीख को या उससे पहले चुकौती/भुगतान रा.आ.बैंक के साथ चुकौती/भुगतान ब्यौरा साझा करें	
		नहीं हां	
रा.आ.बैंक-लेखा		प्राप्ति राशि के संबंध में रा.आ.बैंक क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करें	
		निधियां निर्मोचित करने हेतु भुगतान नोट लेखा विभाग के साथ साझा करें यूआईडी पोर्टल पर संवितरण विवरण प्रस्तुत करें जोकि प्रस्तुति के बाद राज्य को दिखेगा	
रा.आ.बैंक-क्षेत्रीय कार्यालय	शुरु	राज्य सरकार को माग विवरणी भेजें (ऋण अधिस्थगन अवधि के बाद ब्याज भुगतान – तिमाही, और मूलधन चुकौती/भुगतान वार्षिक) राज्य सरकार के साथ नियमित फोलो-अप मांग के आधार पर प्राप्त राशि की जांच करें और किसी बेमेल के मामले में राज्य सरकार के साथ फोलो-अप करें सिस्टम में मांग के साथ प्राप्त राशि का निपटान	समाप्त

ङ. निगरानी एवं पूर्णता

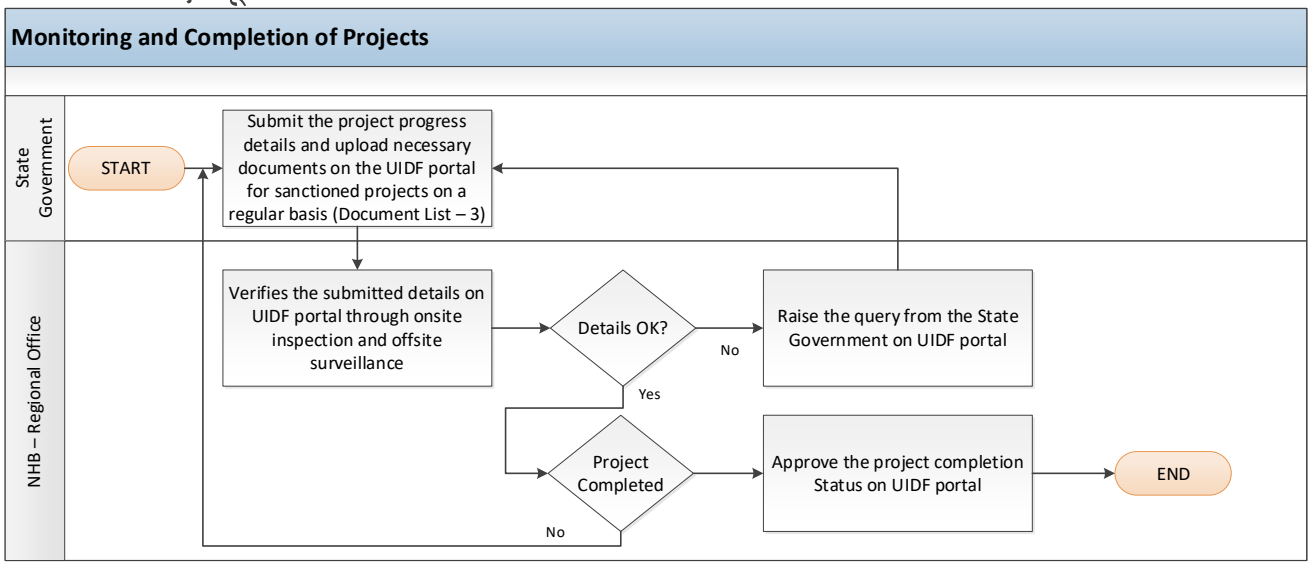

Document List – 3
i. Administrative Approval (MoM) Technical Sanction (MoM)|Proof of tendering|Work Order
ii. Project Progress Geo-tagged photographs
iii. Project Implementation Progress Report
iv. Project Completion Certificate|Project Completion Report
v. Geo-tagged images for the project
vi. Utilization certificates/ pictures showcasing project progress (for ongoing projects)

परियोजनाओं की निगरानी एवं पूर्णता			
राज्य सरकार	शुरू	परियोजना प्रगति विवरण प्रस्तुत करें और नियमित आधार पर अनुमोदित परियोजनाओं हेतु शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेजों को अपलोड करें	
रा.आ.बैंक-क्षेत्रीय कार्यालय		स्थलीय और स्थलेत्तर निरीक्षण के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर प्रस्तुत विवरणों की जांच करें विवरण ठीक हैं? हां नहीं शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर राज्य सरकार से प्रश्न पूछें परियोजना पूरा हुआ हां नहीं शहरी अवसंरचना विकास निधि पोर्टल पर परियोजना पूर्णता स्थिति को अनुमोदित करें	समाप्त

दस्तावेज सूची-3

i. प्रशासनिक स्वीकृति (एमओएम) तकनीकी स्वीकृति (एमओएम)। निविदा का प्रमाण। कार्य आदेश

ii.	परियोजना प्रगति की जियो टैग की गई तस्वीरें
iii.	परियोजना कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट
iv.	परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र। परियोजना पूर्णता रिपोर्ट
v.	परियोजना की जियो टैग की गई तस्वीरें
vi.	उपयोगिता प्रमाणपत्र/ परियोजना की प्रगति को दर्शाती तस्वीरें (चल रही परियोजनाओं हेतु)